हिमाचल प्रदेश

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवम होम्योपैथी विभाग

बार्षिक
प्रशासनिक रिर्पोट

अप्रैल, 2008 से मार्च 2009.

संपर्क
निदेशक,भा. चि.प. व होम्योपैथी,
ब्लाक नः 26,एस. डी.ए (काम्पलैक्स)
कसुम्पटी शिमला– 171009.
दूरभाष 0177– 2622262
फैक्स 0177– 2622010

परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवम होम्योपैथी विभाग प्रदेश के सामान्य एवं दूर–दराज/दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस प्रणाली ने लोगों मे अपनी खास पहचान बनाई है तथा यह पद्धति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आम जनता में श्वासरोग पाचन तन्त्र के रोग, स्नायु तन्त्र के रोग,पक्षाघात स्पाईन सम्बन्धित बिमारियां जिसमे लम्बर–अधोपृष्ठ क्षेत्र मुख्य है, गुद विदार एवम भगन्दर आदि पुरानी विमारियों को साध्य करने मे विशेष रुप से लोकप्रिय सिद्ध हुई है । यह सर्वविदित है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधिओं से सम्बन्धित लक्ष्य को इस विभाग की सहायता के बिना अकेले पार नही कर सकता है क्योंकि भारतीय चिकित्सा पद्धतियां एवम होम्योपैथी विभाग के संस्थान प्रदेश के दूर्गम एवम दूर दराज क्षेत्रों में स्थापित है । जहां वह जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे है । पारम्परिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद जीवन को शरीर,मन इन्द्रियां एवं आत्मा का सायुज्यन मानता है एवं जिस सकारात्मक स्वास्थ्य की बात होती है, वह मानव को भौतिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं में समग्र सामंजस्य द्वारा ही सम्भव है । स्वास्थ्य का यह साकल्यवादी विचार भौतिकवाद से परे डव्लयू0 एच0 ओ0 द्वारा स्वास्थ्य की सयुक्त परिभाषा से बहुत मेल खाता है जिसमें 'हैल्थ–फार आल' के अर्न्तगत मानवीय चेतनाओं, भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अनुभूति का समावेश है । अतः 'भारतीय चिकित्सा पद्धतियों' के इतने विशाल ढांचे व उसकी देश–प्रदेश के दुर्गम इलाको तक पहुंच के दृष्टिगत हमारे देश में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतू आयूष का महत्वपूर्ण योगदान एवं उज्जवल भविष्य है ।

राज्य सरकार इस पारम्परिक चिकित्सा पद्धति को काफी महत्व दे रही है, जिसके लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग स्वतन्त्र रुप से दिनांक 7 नवम्बर 1984 से निरन्तर कार्य कर रहा है । इस विभाग के अधीन

चिकित्सा की निम्न पद्धतियां आती हैः– (1) आयुर्वेद , पंचकर्मा सहित (2) योग व प्राकृतिक पद्धति (3) यूनानी (4) सिद्धा व होम्योपैथी।

इसके अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 4 आमची स्वास्थ्य केन्द्र जो तिब्बति चिकित्सा पद्धति पर आधारित है, भी कार्यरत है ।

वर्ष 1984 में स्वास्थ्य विभाग से अलग होने पर आयुर्वेद विभाग में 424 आयुर्वेद, 3 यूनानी, 2 होम्योपैथी स्वास्थ्य केन्द्र तथा 12 आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत थे । इन संस्थानों के अतिरिक्त एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला जिला कांगडा में, एक शोध संस्थान जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे कार्यरत थे। दो आयुर्वेदिक फार्मेसियां माजरा जिला सिरमौर व जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स्थापित थी जो विभाग के लिए आयुर्वेदिक दवाईयां निर्मित करती थी। विभाग ने इन वर्षो में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व मूलभूत सुविधाएं जुटाने में बहुत वृद्वि की है ।

इस अपूर्व उदाहरण के फलस्वरुप हिमाचल प्रदेश आज भारतीय चिकित्सा की इस पद्धति को विकसित करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है।

विभागीय संस्थानों की सूची निम्न प्रकार से है:–

(क) अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र

समय ब्यतीत होने के साथ–2 आज विभाग में आयुर्वेदिक एंव हौम्योपैथिक संस्थानों की संख्यों 441 से बढकर 1154 हो गई है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है::–

1. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल (प्रत्येक 150/50 विस्तरीय)	02
2. कार्यरत आयुर्वेदिक अस्पताल (20 विस्तरीय –4,10–विस्तरीय–19) (20 विस्तरीय स्वीकृत– अभी कार्य नही कर रहें है):	23 02
3.आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र	1105
4.होम्योपैथिक स्वा0 केन्द्र	14
5. यूनानी स्वा0 केन्द्र	03
6. प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	01
7. आमची स्वा0 केन्द्र	04
कुल	1154

(ख) अन्य संस्थान

1.राजीव गांधी राजकीय स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला जिला कांगडा (हि.प्र)	01
2.आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिन्द्रनगर (मण्डी), माजरा(सिरमौर)एवम पपरोला (कांगडा)	03
3. औषध प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ।	01
4.अनुसंन्धान संस्थान भा.चि.प.	01
5. हर्बल गार्डन जोगिन्द्रनगर, नेरी (हमीरपुर) दुमरेडा(रोहडू) जंगल झलेडा (बिलासपुर)	04

वर्ष 2008–09 के दौरान उपरोक्त आयुर्वेदिक संस्थानों मे 1,03,257 अतंरग व 49,17,887 वाहिरंग रोगियों का उपचार किया गया।

Organizational Set-up in the State Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy

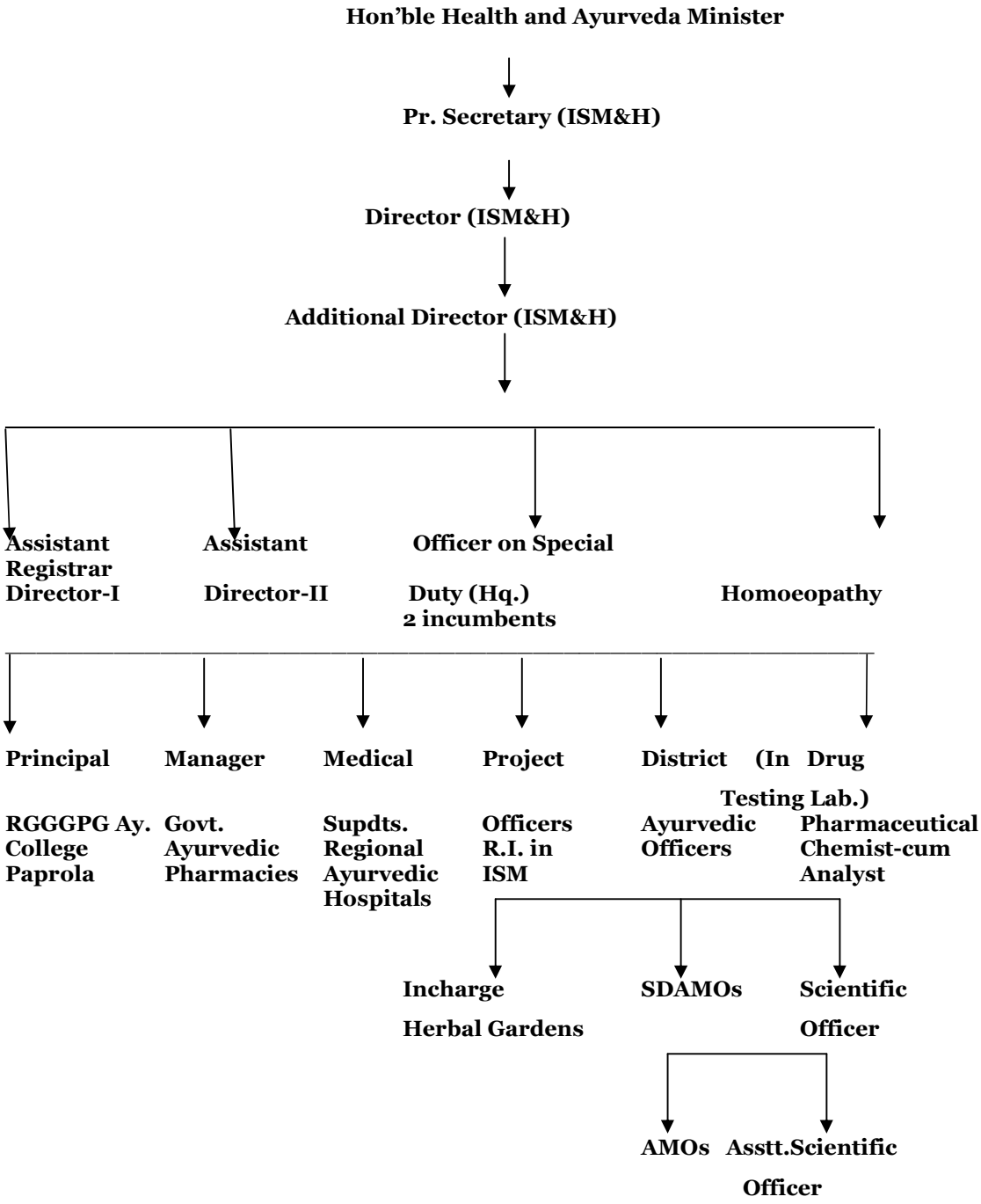

निदेशालय आयुर्वेद

वर्ष 1984 से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के संचालन निरिक्षण हेतु एक स्वतन्त्र प्रभारी मन्त्री तथा वरिष्ठ आई.ए.एस/एच.ए.एस अधिकारी जिनके पास निदेशक आयुर्वेद का प्रभार है कार्यरत है, एक अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद का पद है, जो राज्य असैनिक सेवाओं से है। वर्तमान में दो मनोनीत विशेष कार्य अधिकारी तथा दो सहायक निदेशक तकनीकी परामर्श हेतु कार्यरत है । जिला स्तर पर एक जिला आयुर्वेद अधिकारी सभी जिलों में तथा राजस्व स्तर पर 36 उप मण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे है ।

1. (अ) निदेशालय स्तर पर दर्वाइयां बनाने हेतू नियम/विनियम

1)दवाईया बनाने हेतु जारी किये गये नये लाईसैंस	16
2)जारी किए गए जी.पी.एम प्रमाण पत्र	16
3) अनुमोदित फार्मूलें	378
4)दवाई बनाने वाली ईकाई का निरीक्षण किया गया	50
5) भारत सरकार के निर्देशानुसार औषध निर्माण लाईसेंस जारी करने हेतू एक विशेष समिति बनाई गई है ।	01

(ब) नई सेवाए/योजनाऐं

राज्य के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालय मे बरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक मंगलवार विशेष वहिरंग रोगी विभाग संचालित किए गए है ।

इस स्कीम के तहत भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा इस विभाग को देश का नोडल राज्य घोषित किया है ।

जिला स्तरीय ब्यवस्था

स्वास्थ्य विभाग से पृथक होने से पूर्व भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग सीधे तौर पर सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अधीन था तथा विभाग की सभी गतिविधियां आयुर्वेदिक निरीक्षक के

माध्यम से चलाई जाती थी । स्वतन्त्र विभाग की संरचना के दृष्टिगत जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों के पदो ंके सृजन हुए जिन्हें उनके संम्बंधित जिलों में हर प्रकार के कार्य को चलाने के लिए सशक्त किया गया ।

प्रत्येक जिले में प्राथमिक चिकित्सा ईकाई के रूप में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है । सभी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पांच कर्मचारीयों के पदों की व्यवस्था है,जिनमे एक आयु0 चिकित्सा अधिकारी,, एक आयुर्वेद फार्मासिस्ट, एक ए.एन.एम./दाई एक चतुर्थ श्रेणी तथा एक स्वच्छक (नियमित/पार्ट टाईम) है। इस समय 10 जिला मुख्यालयों में एक–एक 10/20 विस्तरीय आयु0 चिकित्सालय कार्यरत है जिनमे आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों व पैरा मैडिकल कर्मियोंं के कुल मिला कर 14 पद स्जित है जो वहिरंग व अतंरग रोगियो की देखभाल करते है । अधिकतर आयु0 स्वा0 केन्द्र प्रदेश के ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत है जहां स्वास्थ्य विभाग का कोई भी संस्थान नहीं है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा सेवाएं आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रो द्वारा प्रदान की जा रही है ।

प्रत्येक आयु0 स्वास्थ्य केन्द्र व अस्पताल की प्रशासनिक देख रेख/निरीक्षण व दवाईयों आदि की आपूर्ति जिला स्तर से की जाती है ।

<u>प्रशासनिक संरचना का विकेन्द्रीकरण</u>

विभाग के अर्न्तगत जिला स्तर पर सभी जिलों में एक–एक जिला आयु0 अधिकारी कार्यरत है । प्रशासनिक संरचना के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से सरकार द्धारा 36 उपमण्डलीय आयु0 चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, राजस्व उपमण्डलों पर खोले गये है । इन उपमण्डलीय कार्यालयों को वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण जिला मुख्यालय से किया गया है । इस निर्णय/ब्यवस्था से न केवल प्रशासनिक ढांचा संरचित हुआ है बल्कि जनता को समीपतन/उनके घर

के पास सुचारु स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध हुई तथा स्वा0 केन्दों व अस्पतालों का शीध्र व सकिय निरीक्षण भी होने लगा है ।

चिकित्सा राहत

प्राथमिक आयुर्वैदिक संस्थान

विभाग के पास प्राथमिक व सैकेण्डरी स्तर के संस्थानों का एक बडा नेटवर्क है तथा स्वास्थ्य की प्राथमिक मूल ईकाई आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो 3000 से 5000 जनसं,ख्या वाले क्षेत्रों मे वेहतर स्वास्थ्य सेवाए दे रहे है । प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष लगभग 25000 रुपये की मुफत दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पाईलट योजना के अन्तर्गत पिछडे/ग्रमीण क्षेत्रों के लिए 25000/– रूपये की आवश्यक दवाईयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है ।

सकैन्डरी/माध्यमिक स्तर के संस्थान

राजकीय आयु. चिकित्सालय माध्यमिक स्वास्थ्य देखरेख की ईकाई है। यह अस्पताल सामान्य तौर से जिला स्तर/उप मण्डलीय स्तर पर स्थापित है । इन अतंरंग अस्पतालों में 10/20 विस्तरों का प्रावधान है । प्रत्येक अस्पताल में दो–2 आ0 चि0 अधिकारी के अतिरिक्त एक विशेषज्ञ की नियुक्ति/तैनाती /पद स्वीकृति की गई है

क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय संस्थान

क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय ईकाई के रूप में 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला, जिला कांगडा और शिमला–2 में कार्यरत है जिनमें कमशः 200 /50 विस्तरों की व्यवस्था/प्रावधान है । राजीव गांधी आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला राज्य के आयुर्वेदिक विशेषज्ञता अस्पताल के लिए जाना जाता है । यद्यपि 200 विस्तरीय होने के साथ इसमे 4 चिकित्सा विशेषज्ञ विभाग भी है जो कायाचिकित्सा, शल्य, बाल रोग व प्रसूति विभाग है ।

राजीव गांधी स्नातकोतर महाविद्याालय

उक्त महाविद्यालय में 1987–88 में स्नातकोतर डिग्री में 20 सीटें थी जो पहले बढा कर 30 की गई । वर्ष 1998–99 में जनता की जोरदार मांग पर सरकार ने 30 सीटों को बढा कर 50 सीटें कर दिया है ।

स्नातक डिग्री पाच वर्ष 6 माह की होती है जिसमें एक वर्ष की कमिक इन्टरनशीप भी सम्मिलित है । यह महाविद्याालय हि0प्र0 विश्व विद्यालय से सम्बद्व है तथा इस कोर्स में दाखिला उसी के माध्यम से होता है ।

वर्ष 1997–98 तक यहां पर कोई भी स्नातकोतर कोर्स नहीं थे। कालेज में स्नातकोतर शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्धारा तीन विषय, कायाचिकित्सा, शल्य, शालाक्य तंत्र में कोर्स का आरम्भ वर्ष 1999–2000 में किया गया है जिसका उददेश्य इन विषयों के विद्यार्थियों को चिकित्सा सुविधा में सक्षम बनाना था। विषय सामग्री जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्धारा अनुमोदित है, में स्नातकोतर शिक्षा तीन साल की होती है जिनमे दाखिल किये जाने वाले विद्यार्थीयों का विवरण निम्न प्रकार से है ।

1	काया चिकित्सा	06
2	शल्य तन्त्र	04
3	शालाक्य तन्त्र	04

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार द्धारा 3 नये विषयो में स्नातकोतर शिक्षा आरम्भ की है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

1) प्रसूति तन्त्र	03
2) समहितासिद्धान्त	04
3) रस शास्त्र	03

इसके साथ–2 सरकार द्वारा 5 और विषय में स्नातकोतर कोर्स आरम्भ करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है, जो अभी अपेक्षित है ।

राज्य सरकार महाविद्यालय में मूलाधार सुविधा उपलब्ध करवाने हेतू प्रर्याप्त मात्रा मे धन उपलब्ध करवा रही है । महाविद्यालय में विद्यार्थियों (लडके–लडकियों), प्राध्यापकों व दूसरे स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था भी उपलब्ध है ।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मन्त्रालय (आयूष) द्वारा भी विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत महाविद्याालय के स्नातक/स्नातकोतर महाविद्यालय स्वरूप को विकसित एवं सशक्त करने के लिए समय–2 पर धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियां

विभाग के अन्तर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मेसियां माजरा, जो. नगर व पपरोला में कार्यरत है । जोगिन्द्रनगर व माजरा की फार्मेसियां सन 1952–53 मे स्थापित की गई थी तथा तब से यह फार्मेसियां स्वतन्त्र रुप से कार्य कर रही है तथा प्रदेश में विभाग के आयु0 संस्थानों को निरन्तर दवाईयां निर्मित कर आपूर्ति कर रही है ।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला (डी.टी.एल)

दवाईयों की गुणता वनाये रखने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला का होना नितान्त आवश्यक है जो शुद्ध व ताजा जडी बुटियों पर आधारित है, इस उदेश्य के लिए जो. नगर जिला मण्डी में उक्त प्रयोगशाला (डी.टी.एल) की स्थापना की गई है जो एक मान्यता प्राप्त संविधानिक निकाय है।

हर्वल गार्डन

विभाग द्वारा प्रदेश में जलवायु पर आधारित औषध पौधों की नर्सरियां उगाने एंव जडी बूटी एकत्र करने के लिए निम्न स्थानों पर हर्वल गार्डन इस उदेश्य से स्थापित किए गये है कि वह विभाग के अन्तर्गत दवाईयां बनाने हेतू शुद्ध एवम आवश्यक जडी बूटियां उपलब्ध करवा सके ।

1) हर्बल गार्डन जो. नगर जिला मण्डी

यह हर्वल गार्डन लगभग 25 एकड भूमि में विकसित किया गया है जिसमें विभिन्न औषध पौधों की नर्सरियां उगाई जाती है।

संस्थान द्वारा कृषि तकनीक के माध्यम से विभिन्न औषध पौधें लगाये/विकसित किये जा रहे है।

हर्वल गार्डन जो. नगर में अन्य गतिविधियां

1) आयुर्वेद हरवेरियम

औषध पौधों को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित व संग्रहित करने के उददेश्य से जों. नगर मे हरवेरियम की स्थापना की गई है, जिसमें अधिकमात्रा में औषध पौधों के नमूनों को वैज्ञानिक ढग से रखने व नष्ट होने से बचाने मे मदद मिल रही है ।

11) किसान प्रशिक्षण व विभागीय प्रदर्शनी

किसानों को औषध पौधों की जानकारी देने व उगाने के वारे में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाये जाते है ।

111) हर्वल गार्डन नेरी जिला हमीरपुर

विभाग द्वारा नेरी, जिला हमीरपुर में हर्वल गार्डन की स्थापना हेतू 28 एकड भूमि अर्जित की गई है जिसमें से लगभग 10 एकड भूमि पर जलवायु पर आधारित औषध पौधें उगाये जा रहे है । विभाग द्वारा इस हर्वल गार्डन में उगाये जाने वाली नरसरियां इस प्रकार से हैः– 1) तुलसी, भृंगराज, वाकुची, बला, अतिवला, अरककरा, चित्रक, कपूर,– तुलसी, काली तुलसी, माल कंगनी, लजालू, कालहारि, टवैर, आमला, जयफल,गुंजा, विलास, सुहांजन, अमलतास ,बहैडा, हरड, कड़ीपत्ता, (मीठा नीम) भूमि आमला, सुफेद मूसली तथा शावरी आदि ।

स) हर्वल गार्डन दुमरेडा (रोहडू) जिला शिमला

आयुर्वेद दृष्टि से महत्वपूर्ण 7500 मीटर उचाई वाले शीतोष्ण खण्ड मे पाए जाने वाले औषध पौधों की कृषितकनीक विकसित करने के लिए दुमरेडा (रोहडू) जिला शिमला में हर्वल गार्डन की स्थापना की गई है। इस हर्वल गार्डन की मुख्य विशेषता शीतोष्ण खण्ड में औषधिय पौधो को इकटठा करना व महत्वपूर्ण औषधिय पौधों की खेती बाडी

करना है। वहां उगाये जाने वाले मूल्यावान औषध पौधों की संख्या लगभग 24 है ।

ग) हर्वल गार्डन जंगल–जलेडा (बिलासपुर)

विभाग द्वारा जंगल–झलेडा जिला बिलासपुर में लगभग 19 हैक्टेयर भूमि, वहां विद्यमान जलवायु पर आधारित औषध पौधों की खेती हेतु चयनित की गई है । इस हर्वल गार्डन में विद्यमान जलवायु व उचाई के अनुसार औषध पौधों की नर्सरियां उगाई जायेगी ।

पारम्परिक मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना एवं प्रशिक्षण कैंप

भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय करने के उददेश्य से विभाग द्वारा समय–2 पर राजीव गांधी महाविद्यालय व अन्य जिलों में पंचकर्मा व क्षार सूत्र पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है । राज्य में किसानों तथा अन्य लोगों के लिए किसान प्रशिक्षण शिविर तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है जिसमें उन्हें प्रदेश में पाई जाने वाली औषधीय पौधों की पहचान व संरक्षण तथा प्रयोग के महत्व के बार में जागरूक किया जाता है।

<u>अधिकारियों के कार्यक्लाप /शक्तियां</u>

क) प्रशासनिक शक्तियां

ख) संविधानिक शक्तियां

क) <u>प्रशासनिक शक्तियां</u>

विभाग के प्रमुख होने के नाते सभी प्रशासनिक व वितीय शक्तियां निदेशक आयुर्वेद के पास विद्यमान है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :–

1) तृतीय व चतुर्थ क्षेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां/पदोन्नति व स्थानान्तरण करना ।

2) केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (सी,सी,एस एवम सी,सी,ए) नियमावली 1965 के अनुसार लघु/प्रमुख दण्ड लगाना ।

3) सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृति करना ।

4) वार्षिक गोपनीय रिर्पोट को स्वीकार करना व उनका पुनरावलोकन / निरीक्षण समीक्षा करना ।

5) कार्य कुशलता लाने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों का निर्देशन करना ।

11) आयुक्त एवं सचिव (आयुर्वेद) हि0 प्र0 सरकार द्वारा उनके पत्र सं,ख्या–आयु.ख (3)–3/89 दिनांक 28–3–08 द्वारा हाल ही में निदेशक आयुर्वेद को हस्तॉतरित शक्तियों का विवरण/ व्योराः–

1) सभी वर्गो के कर्मचारियों के अवकाश सम्बन्धित मामलों का निपटारा करना केवल ऐसे मामालों को छोडकर जिनके विरुद्ध सरकार स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है ।

2) विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों को नियमानुसार अध्धयन अवकाश स्वीकृत करना ।

3) विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों को सुनिश्चित प्रगति वाहक प्रगति योजना के तहत उच्च वेतनमान में पदस्थापित करना तथा वेतन वृद्धि स्वीकृत करना (केवल ऐसे ऐसे मामलों को छोड कर जिनमें या तो वित्त विभाग की अनुमति अपेक्षित है अथवा उनमें कोई विवाद है) ।

4) सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम प्रायोजित करना जहॉ वित्तिय खर्चा, सम्बंधित संस्था द्वारा उठाया जाता हो ।

5) विदेशों में भ्रमण आदि करने हेतु अनुमति देना ।

6) पास पोर्ट बनवाने के लिए अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने बारे सम्बंधित अधिकारियों से पत्राचार करना ।

7) उच्च शिक्षा ग्रहन करने हेतु प्रवेश परीक्षा में भाग लेने हेतू अन्नापति प्रणाम पत्र देना तथा नौकरी के लिए देश–विदेश में आवेदन करने हेतु अनुमति देना ।

8) अग्रिम चिकित्सा/चिकित्सा प्रतिपूरक भत्ते से सम्बंधित मामलों मे स्वीकृत प्रदान करना ।

9) प्रतिनियुक्ति/ सैकेन्डमैंट से सम्बंधित मामलों में अनुमति देना तथा उनका निपटारा करना ।

10) चल अचल सम्पति अर्जित / खरीदने हेतू बैकों आदि से अग्रिम राशि लेने सम्बंधित अनुमति/स्वीकृतियां देना ।

11) विभाग द्वारा आयु0 स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए किराये पर लिये गये भवनों के किराये में शहरी किराया नियोजन एक्ट के तहत वृद्धि करना अथवा नई दरों पर किराया निर्धारित करना आदि ।

इसके अतिरिक्त कुछ और शक्तियों का हस्तान्त्रण/ प्रत्यायोजन सरकार के पत्र संख्या–आयुर–ख (3)–3/89 दिनांक 22–1–09 द्वारा भी किया गया है जो निम्न है :–

1) दुर्गम/जनजातीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में अतिरिक्त ठहराव भत्ता स्वीकृत करना ।

2) राज्य से बाहर भ्रमण हेतु स्वीकृतियां प्रदान करना ।

3) निजी कार्य के लिए विदेश जाने हेतू अनुमति व अवकाश स्वीकृत करना ।

1. अधिकारियों की साविधिक शक्तियां

1) विभागीय आडिट ।

2) प्रदेश मे भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी से सम्बंधित पंजीकरण करना ।

3) आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण /विकय करने हेतु लाईसैन्स देना ।

4) अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना ।

5) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरद्ध विभागीय जांच आदि से मामलों का निपटारा करना ।

6) सभी प्रकार के आदेशों का निष्पादन/लागू करना

7) अपील, पुनर्विलोकन/संशोधन करना ।

उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतू विभाग के सभी कर्मचारी/अधिकारी निदेशक आयुर्वेद को पूर्ण सहयोग देते है ।

सभी प्रकार के मामलो मे निर्णय लेने हेतू अपनाये जाने वाली विधि के लिए निर्धारित मानकों का ब्योरा निम्न प्रकार से है:– निम्न मानक तय किये गये है :–

क) प्रशासनिक मामले

प्रशासन में कार्य कुशलता लाने के लिए प्रत्येक मामलो का तीव्रता से निपटारा करने के लिए सभी माध्यमों द्वारा निम्न प्रकिया अपनाई जाती है :–

1) सभी मामले/पत्र डायरी में प्राप्त किये जाते है तथा उन पर प्राप्ति की तिथि अंकित की जाती है ।

2) सभी मामले/संदर्भ कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त सम्बंधित कर्मचारियों को मार्क/अंकित होने के उपरान्त डायरी करके उन्हे निपटारा करने हेतु दिये जाते है ।

3) सम्बंधित व्यवहरित सहायक इन पत्रों को सम्बधित नस्ति व सहायक रजिस्टर में अकित करने के उपरान्त प्रस्तुत करते है ।

4) संदर्भो/मामलों को परीक्षण के लिए शाखा अधिकारी के माध्यम से सम्बंधित मत्रालय वर्ग के अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित मंत्रालय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ।

5) जिन पत्रों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होती है उन्हें शाखा अधिकारी द्वारा नस्ति में र,खने की अनुमति दी जाती है। कुछ ऐसे मामले भी होते जो ब्रांच अधिकारी द्वारा निपटाये जाते है ।

6) शेष मामलों को जांच करने के उपरान्त विभागाध्यक्ष के समक्ष अन्तिम निपटारा करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

7) कुछ ऐसे मामले है जैसे नियमों में संशोधन करना, दैनिक भोगी/अंशकालीन कर्मचारियों की नियुक्तियां/नई भर्ती करना तथा बजट का प्रावधान करना आदि से सम्वंधित मामले निर्णय हेतु सरकार को भेजें जाते है।

मानकों/समय के अनुसार पत्रों/संदर्भो का निपटारा करना

1) सभी मामलों को प्रत्येक स्तर पर प्राथमिकता एवम विशेषता के आधार पर निपटारा करने के लिए निम्न तीन भागों में वांटा जाता है, जिनमें तुरन्त,आवश्यक व साधारण प्रमुख है,

संदर्भो का प्रकार	निपटारा करने हेतु अनुमत समय
तुरन्त	ब्रॉच /शाखा अधिकारी के स्तर से 1 दिन ।
आवश्यक	4 दिन सभी स्तरों पर 2–2 दिन
साधारण	6 दिन सभी स्तरों पर 3–3 दिन ।

उपरोक्त समय अवधि में प्रस्तुत न होने वाले पत्रों अथवा निपटारा न होने वाले पत्रों को लम्बित समझा जाता है ।

i) जन साधारण की शिकायतों का तुरन्त निवारण करने के प्रयास किये जाते है । शाखा प्रभारी सभी अधीनस्थ कार्यालयों के साथ ऐसी शिकायतों एंवम अन्य समस्त मामलों का निपटारा करने के लिए सम्पर्क बनाये रखते है।

ii) पूर्ण प्रयास किये जाते है कि कोई मामला उपरोक्त समय अवधि के उपरान्त अछूता/बिना काय्रवाही किये न रह जाए ।

iii) नियमों/विनियमों एवं नीति निर्धारण से सम्बंधित समस्त मामलों को उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता ।

iv) यह शाखा प्रभारी का दायित्व होता है कि वह प्रत्येक मामले को उसकी गुणवता के आधार पर प्रस्तुत करांये तथा इसके लिए अधीनस्थ कार्यालय व सरकार से समय–2 पर सर्म्पक बनाये रखें ।

v) प्रत्येक शाखा अधिकारी प्रपत्रों की गुणवता/विशेषता के आधार पर छानबीन करते है तथा उन पर यथा समय कार्यवाही करना सुनिश्चित करते है ।

(अ) न्यायियक/विधि मामले

न्यायियक/ विधि सम्बन्धित मामले विधि शाखा द्वारा प्रस्तुत किये जाते है । इन मामलो को गम्भीरता से विचारा जाता है तथा तुरन्त निपटारा करने के प्रयास किए जाते है।

(ब)साविधिक मामले (परिनियत मामले)

1) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवम होम्योपैथी व्ययसायी का पंजीकरण करना ।
2) सभी संस्थानों का लेखा परीक्षण करना/करवाना ।
3) सभी संस्थानो का निरीक्षण सुनिश्चित करना।
4) विभागीय जांच पडताल एवम विवादों का निपटारा करना ।
5) अपील, पुनर्विलोकन व संशोधन करना ।

प्रत्येक कर्मचारी के दायित्व एंव लेख–अभिलेख आदि से सम्बन्धित विनियमः

1) हि.प्र आयुर्वेदिक/व्ययवसायी नियम व विनियम ।
2) होम्योपैथी व्ययवसायी नियम/विनियम ।
3) सभी/प्रत्येक संस्थान की लेखा परीक्षा रिपोर्टों का अवलोकन/निपटारा करना ।
4) कार्यालय नियम/पुस्तकें।
5) केन्द्रीय असैनिक सेवाएं अवकाश नियमावली–1972.
6) केन्द्रीय असैनिक सेवाएं नियम/सी.सी.ए नियमवली, 1965।
7) हि0प्र0 एफ.आर. व एस.आर नियमावली ।
8) सामान्य भविष्य निधि/पैशन नियमावली ।
9) चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम ।
10) अवकाश यात्रा राहत नियम ।
11) गृह अग्रीम ऋण नियम ।
12) कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रकाशित कार्मिक मामलो से सम्बंधित पुस्तिका ।

उन अभिलेखों/विवरणों की सूची जिन्हें कार्यप्रणाली चलाने के लिए नियन्त्रण में रखा जाता है । जन प्रतिनिधियों के प्रतिवेदन तथा उनसे विचार विर्मश के बाद निर्धारित नीति एवम उन्हें लागू करने के लिए प्रवन्धों का विवरणः–

1. विभागीय वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है)

2.विभागीय संस्था अनुसार निर्देशिका (आवश्यक परिवर्तन के उपरान्त शीध्र ही जारी की जाती है)

बोर्ड/कांसिल अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों की कमेटी जो आम जनता की शिकायतों आदि का निवारण करती है तथा उनकी बैठकों की कार्यवाही जनता के लिए मांग पर उपलब्ध होती है।

हि.प्र. भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एंव यूनानी बोर्ड तथा होम्योपैथिक कौसिन्ल जिसके प्रमुख रजिस्टार होते है, एवं वह, विभागाध्यक्ष, जो पंजीकरण बोर्ड/कौंसिल के अध्यक्ष है, के अधीन कार्य करते है ।

VIII) विभागीय अधिकारियों के नाम/पते एंव अन्य अभिलेख से सम्बंधित नियमों/विनियमों पर आधारित निर्देशिका ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में स्वीकृत/कार्यालय स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार से है:

कमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	निदेशक	01	01	.....
2	अतिरिक्त /सयुंक्त निदेशक	01	..	01
3	प्रशासक	01	...	01
4	सहायक निदेशक	02	02	....
5	विशेष कार्य अधिकारी अभिहित (Designated)	01	02 केवल–मनोनीत	01
6	प्रवन्धक आयुर्वेदिक फार्मेसी	03	–	03
7	विशेष कार्य अधिकारी फार्मेसी	01	–	01
8	चिकित्सा अधीक्षक	02	02	.....

9	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी	12	10	02
10	वैज्ञानिक अधिकारी	01	.....	01
11	विकिरण विज्ञानी/रैडियोलोजिस्ट	01	.....	01
12	निश्चेतन अधिकारी/ऐनेस्थिस्ट	01	.....	01
13	प्रधानाचार्य	01	....	01
14	प्रोफेसर	11	07	04
15	रीडर	21	14	07
16	परियोजना अधिकारी	01	.....	01
17	बरिष्ठ आयुर्वैदिक चिकित्सक	18	04	14
18	बरिष्ठ लैक्चरर	17	12	05
19	लैक्चरर	16	12	04
20	वनस्पतिज्ञ	01	....	01
21	फर्मासियूटिकल कैमिस्ट	01	....	01
22	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	36	32	04
23	आयुवैदिक चिकित्सा अधिकारी	1148	932	216
24	होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी	14	11	03
25	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	03	02	01
26	आमची चिकित्सक	04	01	03
27	सूचना/प्रसार एंव प्रशिक्षण अधिकारी	01	—	01
28	प्रभारी हरवेरियम	01	01	—
29	सहाय प्रबन्धक फार्मेसी	02	02	—
30	अधीक्षक ग्रेड–1	05	05	—
31	अधीक्षक ग्रेड–11	20	15	05
32	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	03	02	01
33	वरिष्ठ सहायक	45	43	02

34	कनिष्ट सहायक/लिपिक	111	86	25
35	निजि सचिव	01	01	—
36	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	01	01	.
37	क्निष्ट आशुलिपिक	01	01	—
38	आशुटंकक	04	03	01
39	संख्यिकी सहायक	02	—	02
40	गार्डन ईन्चार्ज	04	03	01
41	आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट	1174	578	656
42	होम्योपैथिक कम्पांउडर	14	13	01
43	आमची डिस्पैन्सर	04	—	04
44	स्टाफ नर्स	54	32	22
45	वार्ड सिस्टर	03	03	:
46	ए.एन.एम	190	154	36
47	दाई/मिडवाईफ	894	510	384
48	लैब तकनिशियन	38	18	20
49	तकनीकी सहायक	03	—	03
50	फिजियोथरैपिस्ट	01	—	01
51	लैब अटैण्डैंट	18	13	5
52	मकैनिक	03	01	02
53	योगा अनुदेशक	01	—	01
54	क्लाकार	01	01	—
55	सहायक लाईब्ररियन	01	01	—
56	बिजली मिस्त्री	01	01	—
57	पलम्बर	01	01	—
58	आप्रेशन थियेटर सहायक	01	—	01
59	रेडियोग्राफर	01	01	—
60	डार्क रूम सहायक	01	....	01

61	सहायक	01	01	.
62	वैज्ञानिक सहायक	02	01	01
63	लैव सहायक	02	01	01
64	लैव सहायक अनुंसधान	02	.	02
65	चालक	19	19	.
66	चर्तुर्थ श्रेणी	1083	591	492
67	स्वच्छक	167	162	05

बजट

चालू वित्त वर्ष के लिए विभाग का कुल वार्षिक बजट मु0 95,44,27,000 रुपये था, जिसे सभी अधिनस्थ कार्योलयो के लिये विद्यमान अनुदेशों के अनुसार वितरित किया गया है।

आम जनता/नागरिकों को उनकी सुविधा के लिए उबलब्ध कराई जाने वाली सूचना, चाहे वह कार्यप्रणाली के बारे मे हो अथवा लाईवरेरी की समय सारणी आदि के बारे में हो का विवरणः

जब कोई नई योजना चलाई जाती है, नियमों/विनियमों में संशोधन या कोई नई नीति बनाई जाती है, उसका प्रचार शैक्षिक विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है । प्रत्येक नागरिक का किसी प्रकार की सूचना लेने के लिए कार्यालय समयानूसार प्रातः 10 से 5 बजे तक स्वागत किया जाता है ।

आयुर्वेदिक फार्मेसियां में जहां अभूतपूर्व विकास हुआ है वहीं इन फार्मेसियों में दवाईयों के निर्माण कार्य में भी बृद्धि हई है। सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों व हर्बल गार्डन में जलवायु पर आधारित औषध पौधों को उगाने एंव जडी–बुटियां एकत्र करने के बारे में विशेष अभियान चलाये जा रहे है । यही नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा राजकीय राजीव गांधी महाविद्यालय को मॉडल आयुर्वेद महाविद्यालय घोषित किया है ।

प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्वति को मिलने वाली विशेष सुविधाओं का विवरण :–

1) प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अथवा जहां स्वास्थ्य विभाग का कोई संस्थान नहीं है में चिकित्सा सेवाए प्रदान करना ।
2) पुनर्भिविन्यास कार्याकमों के माध्यम से आयुष चिकित्सा अधिकारीयों तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को समय–समय पर प्रशिक्षण दिलाना ।
3) जलवायु के आधार पर आधारित हर्वल गार्डन स्थापित करना ।

4) विभागीय फार्मेसियों को विकसित करना ।
5) राज्य में किसानों तथा आम जनता के लिए किसान प्रशिक्षण शिवरों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना ताकि लोगों को प्रदेश में पाये जाने वाले औषधिय पौधों की पहचान, संरक्षण, सम्बर्धन, कृषि–करण तथा प्रयोग के महत्व बारे जागरुकता लाना ।
6) राजकीय राजीव गांधी आय0 महाविद्यालय को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रुप में विकसित करना ।
7) प्रदेश को अनिमिया मुक्त करने में सहयोग देना ।
8) आयुर्वेदिक संस्थानों में पंचकर्म एवम क्षार सूत्र चिकित्सा को लागू करना।
9) राज्य में आयुर्वेद के माध्यम से वृद्ध चिकित्सा देखभाल योजना लागू करना ।

11. राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोतर महाविद्यालय पपरोला जिला कांगडा हि0 प्र0 ।

परिचय

प्रदेश में राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला जिला कांगडा में चलाया जा रहा है । यह महाविद्यालय छोटी–2 पहाडियों पर ऐसे क्षेत्र में स्थापित है जो प्राकृतिक सौदर्य व महत्वपूर्ण जडी–वुटियों से परिपूर्ण है । यह महाविद्यालय हि0 प्र0 विश्वविद्यालय से सम्बद्व है तथा यहां छात्रों की प्रवेश क्षमता 50 छात्र प्रतिवर्ष है । महाविद्यालय में 6 विशेषज्ञ विभाग है जो काया चिकित्सा, शल्य शालक्य, प्रसूति तन्त्र, समहिता सिद्धान्त व रस शास्त्र है । वर्ष 1998 से यहां स्नातकोतर कक्षाएं काया चिकित्सा, शल्य तथा शालाक्य विषयों मे आरम्भ की गई । वर्ष 2004–05 से प्रसूति तन्त्र, समहिता, सिद्धान्त और रस शास्त्र विषयों में स्नातकोतर शिक्षा आरम्भ की गई है । स्नातक/स्नातकोतर कोर्स के लिए 24 सीटें है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

स्नातक

1)	बी,ए,एम ,एस एम,डी,/एम.एस.	50
1	काया चिकित्सा	06

2	शल्य	04
3	शलाक्य	04
4	प्रसूति तन्त्र	03
5	समहिता सिद्धान्त	04
6	रस शास्त्र	03

उपरोक्त के अतिरिक्त पांच और विषयों में स्नातकोतर कंक्षाए आरम्भ करने हेतु प्रस्तावना भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गई है जिसमें अनुमति/अनुमोदन अपेक्षित है ।

महाविद्यालयों मे चलाये जा रहे 14 विभागों का विवरणः

1	काया चिकित्सा विभाग	स्नातकोतर
2	शल्यतन्त्र विभाग	यथोपरि
3	शालाक्य तन्त्र विभाग	,,
4	समहिता सिद्धान्त और संस्कृत विभाग	,,
5	प्रसूति तन्त्र स्त्री रोग विभाग	,,
6	रस शास्त्र और भैषज्य कल्पना विभाग	,,
7	कुमार भृत्य विभाग	
8	द्रव्य गुण विभाग	
9	शरीर रचनाविभाग	
10	रोग निदान विभाग	
11	स्वस्थवृत विभाग	
12	अग्ध तन्त्र एंवम विधि	
13	पंचकर्मा विभाग	

2008–09 के शैक्षणिक परिणाम

कक्षा का नाम	उतीर्ण प्रतिशतता
बी.ए.एम.एस	
1. बी.ए.एम.एस, प्रथम बर्ष	63 प्रतिशत
2. बी.एम.एस, द्वितीय वर्ष	76 प्रतिशत
3. बी.ए.एम.एस, तृतीय बर्ष	87 प्रतिशत
स्नातकोतर (एम,डी./एम.एस.)	
1. एम.डी.एम.एस.(आयु0) प्रथम वर्ष	100 प्रतिशत
2. एम.डी.एम.एस.(आयु0) अंतिम बर्ष	100 प्रतिशत

शैक्षणिक भ्रमण

बी.ए.एम.एस तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2008–09 में शैक्षणिक भ्रमण/प्रवास इस प्रकार से आपेक्षित किये गयेः 1) तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए 10–11–08 से 24–11–08 (पंचकर्मा भ्रमण/प्रवास केरल) 11) द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी के लिए 22–11–08 से 6–12–08 (रस शास्त्र भ्रमण/प्रवास जयपुर) 111) प्रथम वर्ष के लिए 25–3–08 से 5–4–08 द्रव्य गुण प्रवास (भ्रमण जयपुर)

महाविद्याालय में आर्थिक सांस्कृतिक तथा खेल परिलब्धियॉ

महाविद्याालय में बार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक 22–1–09 से 24–1–09 तक तथा खेलों का आयोजन दिनांक 19–1–.9 से 21–1–09 व 26–2–09 से 28–2–09 तक किया गया ।

बार्षिक समारोह

महाविद्याालय में वार्षिक समरोह दिनांक 5–1–09 से 10–1–09 तक आयोजित किया गया जिसमें शैक्षणिक, सांस्कृतिक व खेलों में अब्बल रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक भेंट किए गये ।

वर्ष 2008–09 के दौरान महाविद्यालय में प्राप्तियां

क)

प्राप्ति	फीस	निधि	कुल
महाविद्यालय	26,76,698	1389325	4066023
आवास	5,34,936	781960	1316896
कुल	3211634	2171285	5382919

ख) प्रशासनिकः–

1) स्थापना

i) नियुक्तियां पदोन्नतियांः वर्ष 2008–09 के दौरान 3 अतिरिक्त लैक्चरर,, 3 रीडर,, 2 वरिष्ठ लैक्चर, 5 लैक्चरर और 8 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को प्राध्यापक, रीडर, वरिष्ठ लैक्चरर/व्यख्याता तथा लेकचरर के पद पर पदोन्नत किया गया इसके अतिरिक्त 4 दैनिक भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित किए गए तथा एक पार्ट टाइम स्वच्छक को दैनिक भोगी स्वच्छक के पद पर पदोन्नत किया गया ।

PIMS:– इस योजना के तहत कर्मचारियों व अधिकारियों की ई. सेवा पुस्तिकाओं का कम्पयूटरिकरण किया जा रहा है तथा 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

RTI:. इस एक्ट के अन्तर्गत 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनके उतर निर्धारित समय के भीतर दिये गये तथा इस मद में 270 रूपये की फीस प्राप्त की गई ।

निर्माण कार्यो का विवरण

1) माडल महाविद्याालय अस्पताल

क) महाविद्यालय के अतिरिक्त 100 बिस्तरीय अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इस भवन का माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा 2 अक्तुबर 2008 को लोकार्पण किया जा चुका है । भवन के निर्माण पर कुल लागत 403.00 लाख रूप्ये आई जिसमें से 140.00 लाख भारत सरकार द्वारा राज्य माडल कालेज स्कीम के तहत उपलब्ध करवाये गये ।

ख) फार्मेसी के अतिरिक्त भवन का निमार्ण

आयुर्वेदिक फार्मेसी पपरोला के अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा भवन का माननीय मुख्यमंत्री द्धारा 2 अक्तुबर 2008 को लोकार्पण किया गया है। निर्माण पर कुल लागत 80.34 लाख रुपये आई जिसमें से 77.79 लाख रूप्ये का

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के मद विद्यमान फार्मेसियों का विकास के तहत उपलब्ध करवाये गये ।

ग) अतिरिक्त छात्रावास भवन (लडकियों के लिए) का निर्माण

भारत सरकार से प्राप्त 117–00 लाख रुपये की राशि से निर्मित किये जाने वाले लडकियों के छात्रावास भवन की नीव माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा 2 अक्तुबर 2008 को रखी जा चुकी है। इस छात्रावास के भवन के लिए भूमि अर्जित करने सम्बन्धि मामला राजस्व विभाग के पास लम्बित पडा है ।

11) फार्मेसी

महाविद्याालय की फार्मेसी को अपग्रेड कर उसे नव निर्मित ब्लाक में स्थानान्तरित किया गया है तथा वहां दवाईयों के निर्माण का कार्य भी आरम्भ किया गया जा चुका है ।

इस फार्मेसी द्वारा निर्मित 33 विभिन्न औषधियों पर बी0ए0एम0एस छात्रों द्वारा प्रयोग किये गये तथा 13 एमडी/एमएस स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा खोज की गई। महाविद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य के अतिरिक्त फार्मेसी(पपरोला) में निदेशालय द्वारा रखे गये 26 औषधियों को बनाने का लक्ष्य ही पूर्ण नहीं किया गया बल्कि इस वर्ष 1900 किलो दवाईयां निर्मित भी की गई।

हर्वल गार्डन

1.) जडी बूटियां आयुर्वेद का मुख्य अंग है तथा इन जडी बुटियों का प्रत्येक छात्र /विद्याार्थी को ज्ञान होना आवश्यक है । इस उदेश्य से संस्था द्वारा सगूर पंचायत के अन्तर्गत गांव नाग मोड मझेरणा जिला कांगडा में हर्बल गार्डन विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए मू0 4,94,372 रुपये का अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने हेतु मामला निदेशालय को भेजा है ।

11) महाविद्याालय परिसर मे एक लधु हर्वल गार्डन भी बनाया गया है. जिसमे लगभग 150 औषधीय पौधे विद्यार्थियों के प्रयोगात्मक कार्य के लिए उगाये गये है ।

पुस्तकालय

महाविद्यालय में कार्यरत पुस्तकालय में 8100 पुस्तकें उपलब्ध है तथा 12 राष्ट्रीय पत्रकारिता से सम्बन्धित पुस्तके शीध्र ही उपलब्ध कराई जा रही है । अनुसूचित जाति व जनजातीय छात्रों के लिए अलग पुस्तक भण्डार बनाया गया है। पुस्तकालय का स्तर बढाने के उदेश्य से वहां कुछ और पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही है। जिसके लिए भारत सरकार से मु0 10.00 लाख की वितीय सहायता प्राप्त हो चुकी है तथा स्थानीय कय समिति का गठन भी किया जा चुका है। लाईब्रेरी का कम्पयूटीकरण तथा इंटरनेट से जोडने की योजना शीध्र ही वनाई जा रही है

सहायता/अनुदान

कमांक	स्कीम का नाम	राशि
1.	राज्य माडल महाविद्यालय स्कीम/योजना के तहतः	95.00 लाख
2.	संशोधित राज्य माडल महाविद्यालय स्कीम के तहतः	117.69 लाख
3	आर. ओ.टी.पी. व सीएम ई	30.50 लाख
4.	स्नातकोतर चिकित्सक शिक्षा	84.07लाख

अ) राज्य माडल महाविद्यालय (विद्यमान/पुरानी कय स्कीम)

इस स्कीम के तहत मु0 1352.00 लाख की लम्बित राशि भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है । इसी योजना के तहत 95.00 लाख वर्ष 2008–09 मे इस महाविद्यालय के लिए और जारी किये है जिसमे से 75 लाख औजार. 10 लाख निर्माण के लिए तथा 10 लाख पुस्तकें खरीदने के लिए है। इस कार्य के लिए निविदाएं लेने का कार्य प्रगति पर है ।

(ब) इसी स्कीम के अन्तर्गत 117.69 लाख रुपये लडकियों के छात्रावास के लिए प्राप्त हुए है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है ।

अन्यः

क) माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिनांक 2–10–08 से महाविद्यालय परिसर से अनिमिया मुक्त अभियान शुभारम्भ किया गया ।

ख) महाविद्याालय को भारत सरकार के सी.सी.आर.ए. एस. विभाग द्धारा अनिमिया मुक्त का माडल केन्द्र घोषित किया गया है ।

ग) महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति के निश्चेतन विदों का 3 व 4 अक्तुबर 2008 को एक समायोजन आयोजित किया था. जिसका उदघाटन आयुष विभाग भारत सरकार मे कार्यरत सलाहकार द्धारा किया गया । इस सम्मेलन मे 150 प्रतिनिधियों व विशेषज्ञों द्धारा भाग लिया गया ।

घ) इस वर्ष प्राध्यापको के लिए पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यकमो के अन्तर्गत कायाचिकित्सा. रस शास्त्र व शल्य में तथा सी.एम.ई प्रयोगशालाओं का आयु0 चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजन किया गया. जिसके लिए 30.50 लाख की वितिय सहायता प्राप्त हुई थी ।

महाविद्यालय मे वर्ष 2008–09 के लिए बजट प्रावधान

बजट	गैर योजना	योजना	सून	कुल
आंवटित	3,06,48,209	....	....	3,06,48,209
खर्चा	4,08,99,402	.....	....	4,08,99,402

(5) <u>राजकीय राजीव गांधी महाविद्यालय पपरोला जिला कांगडा</u>

महाविद्याालय के साथ सम्बद्व अस्पताल का दर्जा वढाकर 200 विस्तरीय कर दिया गया है तथा इसे नये ब्लाक में जहां पर्याप्त स्थान व आधुनिक सुविधाएं उपलव्ध है में स्थानान्तरित कर दिया गया है। अस्पताल जहां स्थानीय जनता को चिकित्सा सुविधाए प्रदान कर रहा है वहीं बी.ए.एम.एस तथा स्नातकोतर विद्यार्थियों को क्लीनीकल अभ्यास भी करवा रहा है । अस्पताल में सभी विभाग जैसे मैडिसन शल्य, कान,नाक,व गला, नेत्र गायनोकोलोजी तथा शिशु विभाग आदि चलाये जा रहे है । यहां पंचकर्मा व क्षार सूत्र सम्बंधि सुविधाएं उपलव्ध है । इस अस्पताल में प्रयोगशाला भी कार्यरत है जहां पर सभी प्रकार के परीक्षण/टैस्ट किये जाते है। अस्पताल पूर्णतयः भारतीय चिकित्सा पद्धति से रोगों का निदान करने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है।

अस्पताल में निम्न चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध हैः–

- ओ. पी. डी
- मेजर ओ.टी.
- माईनर ओ.टी.
- लेवर रुम
- बायो कैमिस्टरी व हीमोटोलोजिकल लैब
- एक्सरे/यू.एस.जी./ई.सी.जी.
- डेन्टल यूनिट
- इम्यूनाईजेशन
- फिजियोथिरेपी
- पंचकर्मा
- स्पैशल बार्ड

क्लीनीकल विभागः–

अस्पताल में निम्न विभाग कार्यरत है जो इस प्रकार से हैः– कायाचिकित्सा,शल्य,शालक्य, बाल रोग, प्रसूति तन्त्र, पंचकर्मा, सिद्वान्तिक चिकित्सा,रोग निदान, स्वस्थ्य वृत तथा आपातकालीन विभाग ।

विस्तरों की व्यवस्था	200
रोगी रोग विवरण	
1. बहिंरग	47036
2. अतंरंग	19588
3. प्रसूति	123
4. गायनी से सम्बन्धित आप्रेश्न	56
5 अल्प आप्रेशन	1243
6 लैव टैस्ट (1) नैत्यिक टैस्ट	19872
(11) वायो कैमिस्टी	10523
एक्सरे	4219
(1) यू.एस जी0	1427
(11) ई0 सी0 जी0	1082

वर्ष 2008–09 हेतू अस्पताल के लिए/वार्षिक वजट

बजट	गैर योजना	योजना	कुल
आंबटित	68,53,000	38,17,000	1,06,70,00/–

औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर

आयुष विभाग के अन्तर्गत कार्यरत औषध परीक्षण प्रयोगशाला एक मान्यता प्राप्त संविधिक निकाय है। ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट का अध्याय–4;।द्ध अनन्य/एक मात्र रुप से आयुर्वेद सिद्व एवं युनानी औशधियों पर नियंत्रण करता है । ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट के प्रावधान की धाराओं को व्यव्हारिक रुप में लाने हेतू विभिन्न संविधिक निकायों का गठन किया गया है। नियम 160;।द्ध के अन्तर्गत आयुर्वेद सिद्व एवं यूनानी औषधियों की प्रयोगषालाओं की स्थापना की व्यवस्था हेतू स्वीकृति प्रदान की गई है इसी एक्ट की धारा 33 म्ठ के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली आयुर्वेद सिद्व एवं युनानी औषधियों में विद्यमान भारी धातुओं की मात्रा की जांच को अनिवार्य बनाया गया है।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला का वास्तविक उददेश्य

जोगिन्द्रनगर स्थित औषध परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत निम्न वास्तविक उददेश्य के साथ की गई हैः–

1. ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्वति की एकल एवं यौगिक औषधियों की जांच एवं उनका परीक्षण करना ।
2. राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों से प्राप्त होने वाले एकल एवं निर्मित औषधियों के नमूनों की जांच एवं परीक्षण ।
3. प्रदेश में कार्यरत निजि फार्मेसियों से प्राप्त आयुर्वैदिक औशधियों के नमूनों की जांच एवं परीक्षण ।
4. विभिन्न प्रायोजित अभिकरणों/माध्यमों से आयर्वुैदिक औषधियों की गुणवता में नियंत्रण संम्बन्धी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अधिग्रहण करना।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा

निदेशक आयुर्वेद हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या. 3–370/70–आर्यु0 दिनों 14.02.1991 के अंन्तर्गत फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट को प्रयोगशाला का कार्य वाहक प्रभारी नियुक्त किया गया और उन्हें निदेशक ;तकनीकीद्ध के दिशा निर्देशन में कार्य का संचालन करके समय–2 पर सूचना एवं विवरण उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए गये थे ।

वर्ष 2002 में वितायुक्त एवं सचिव ;आयुर्वेदद्ध हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या.आर्यु0–ख; 2द्ध–2/2002 दिनांक 16.01.2002 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राजकीय विशलेषक ; आयुर्वैदिक औषधद्ध की नियुक्ति की गई ।

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या. एच.एफ.डब्ल्यू–बी;1द्ध 32/31 दिनांक 7.8.1982 के अन्तर्गत प्रयोगशाला के लिए निम्न पदों का सृजन किया गया :–

क.सं.	**श्रैणी**	**वेतनमान**
पदों की संख्या.		
		; पूर्व–संशोधित
1.	**वैज्ञानिक अधिकारी**	**940–1850**
1		
2.	**वैज्ञानिक सहायक**	**800–1400**
2		
3.	**सहायक**	**570–1080**
1		
4.	**प्रयोगषाला सहायक**	**400–600**
2		

वर्तमान में कार्यरत कर्मियों एवं विभिन्न अनुभागों में बांछित आवश्यक पदों को **अनुबन्ध–।** में दर्शाया गया है ।

आयुष विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंन्त्रालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के लिए बांछित योग्यताओं को निर्धारित किया गया है जिनका विवरण **अनुबन्ध–।। एवं ।।।** में है।

परीक्षण संम्बन्धी कार्य संचालन का विवरण

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंन्त्रालय के आयुष विभाग द्वारा औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर को एक ऐसी आयुर्वेद संस्था के रुप में चिन्हित किया गया है जो कि आयुर्वेद सिद्व एवं युनानी औषधियो के परीक्षण कार्य को करने में सक्षम है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुऐ औषध परीक्षण प्रयोगशाला की सरंचना को और सुद्रृढीकरण करने हेतु एक करोड्ड रुपये की सहायता राशी प्रदान की गई है। औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर आयुर्वेदिक फार्मोकोपिया आफ इंन्डिया जो कि ओषधियों के मानको का वैधानिक दस्तावेज है मे दर्शाये गये संलेखों के अनुसार परीक्षण कार्य कर रहा है। इस प्रयोगशाला द्वारा 5 आयुर्वैदिक औषधियों पर किये गये कार्य के निबन्ध

।च् के पांचवे खण्ड में प्रकाशित किये गये है।इसके अतिरिक्त 6 आयर्वैदिक औषधियों पर कार्य पूरा करके अन्तिम रिर्पोट भारत सरकार को भेज दी गई है। औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने वर्ष **2008** में **463** आयुर्वैदिक जांच नमूनों का परीक्षण कार्य किया जिससे **1.41** लाख रु. का राजस्व प्राप्त हुआ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशोंनुसार प्रस्तावित परीक्षण :–

ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट 1940 ; 23 आफ 1940द्ध की धारा 33 म्ठ के अन्तर्गत निर्यात किये जाने वाली आयुर्वेद सिद्व एवं युनानी औषधियों में भारी खनिजों की मात्रा की जांच को अनिवार्य बनाया गया है। जिसके लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है। औषधियों की विषाकत दर का निर्धारण करने के लिए औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर के पांचो अनुभागों के सुद्रृढीकरण के लिए उपकरणों एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता है जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ताकि प्रयोगशाला का कार्य सुचारु रुप से चल सके।

उपलब्धियां :–

आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने औषधियों के परीक्षण कार्य में विभाग की अपेक्षाओं के अनुरुप सराहनीय कार्य किया है। औषध परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा भारत सरकार से तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का अधिग्रहण किया है।

औषध परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा पिछले पांच वर्ष में किये गये औषधियों के जांच नमूनों का विवरणः–

फार्मोकोपिया आफ इंन्डिया जो कि ओषधियों के मानको का वैधानिक दस्तावेज है मे दर्शाये गये संलेखों के अनुसार परीक्षण कार्य कर रहा है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले जांच नमूनों की परीक्षण रिर्पोट राजकीय विषलेषक द्वारा ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट 1940 के नियमों के अन्तर्गत फार्म–50;त्मण्160.क्ण्थ्द्ध पर हस्ताक्षर करके दी जाती है। औषध परीक्षण कार्य से संम्बन्धित लक्ष्य का वार्षिक निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2007–08 में औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने 620 जांच नमूनों का परीक्षण कार्य किया और देश में कार्यरत आयुर्वैदिक प्रयोगशालाओं मे से इस प्रयोगशाला को भारत सरकार द्वारा द्वितीय स्थान पर दर्शाया गया ।पिछले पांच वर्ष में औषध परीक्षण कार्य का विवरण निम्न हैः–

	एकल औषध	यौगिक औषध	

बर्ष	राजकीय फार्मेसिया	निजी फार्मेसिया	राजकीय फार्मेसिया	निजी फार्मेसिया	औषध नियंत्रक	कुल	राजस्व प्राप्ति लाखों में
2003–04	12	2	89	137	18	240	0,695
2004–05	47	24	24	139	3	234	0,815
2005–06	38	73	80	336	6	527	2,045
2006–07	34	5	96	269	10	404	1,37
2007–08	87	28	91	400	14	620	2,14
2008–09	58	23	113	252	10	463	1,41

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाए

वर्ष 1998 में भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा एकल एवं यौगिक औषधियों के भैषज्य मानक निर्धारण संम्बन्धी कार्य हेतू देश में 32 वैज्ञानिक संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर को भी 15 लाख रु. ;1998–03द्धइस कार्य को पूरा करने हेतू दिये गये। औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर ने 31 औषधियों पर कार्य किया और उनकी रिर्पोट समय–2 पर भारत सरकार को भेजी गई। प्रयोगशाला द्वारा किये गये कार्य में से पांच एकल औषधियों के कार्य को स्वीकार करके उनके निबधों को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ।च् के पांचवे खण्ड जो कि जनवरी 2006 में प्रकाशित हुआ में सम्मिलत किया गया है। जिन औषधियों पर प्रयोगशाला ने औषध मानक निर्धारण कार्य किया है। उनका विवरण निम्न हैः–

क्रमांक	**औषध द्रव्य जिन पर मानक निर्धारण कार्य किया गया**
1	सर्पगन्धा ;जडद्ध
2	केबुक ;कन्द द्ध
3	आभा ;छालद्ध
4	पुतिकरंज ;छालद्ध
5	क्षीर विदारी; कन्दद्ध
6	पुष्कर ;जडद्ध
7	जरिष्क ;फलद्ध

8	स्वेती ;फूलद्ध
9	धावा ;छालद्ध
10	धावा ;फलद्ध
11	मेदा ;कन्दद्ध
12	जीवक;कन्दद्ध
13	सेब; फल गुद्वाद्ध

क्रमांक	**; यूनानी योग द्ध**
1	हब्बे–निशात
2	हब्बे मुसली दिमागी
3	हब्बे मुन्तिन अकवर
4	हब्बे अफतीमून
5	हब्बे मुमसिके
6	हब्बे जडवार
7	हब्बे जवाहिर
8	हब्बे मुसकीन नबाज

क्रमांक	**; आयुर्वैदिक योग द्ध**
1	पिपल्यादिआसव
2	द्राक्षारिष्ट
3	पुनर्नवासव
4	पार्यारिष्ट
5	जीरकारिष्ट
6	बलारिष्ट
7	दन्तयरिष्ट
8	देवदारवरिष्ट
9	दशमूलारिष्ट
10	चन्दनाश्व

परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढीकरण

औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंन्त्रालय द्वारा औषध परीक्षण हेतू एक सक्षम

संस्थान के रुप में चिन्हित किया हे की वर्तमान प्रयोगशाला संरचना को सुदृिढ करने हेतू एक करोड रु. विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिया गया हैः–

क्र.सं.	मद	प्रदत्त राशि
1.	पुराने भवन का जीर्णोद्वार	15.00 लाख
2.	नये भवन निर्माण हेतू	19.55 लाख
3.	उपकरण एवं अन्य	56.24 लाख
4.	श्रम शक्ति	9.45 लाख

कुल :– 100.00 लाख

प्रयोगशाला के सुद्रृढीकरण हेतू किये गये खर्च का विवरण **अनुबन्ध–5** पर दर्शाया गया है। औषध परीक्षण प्रयोगशाला के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त एक करोड रु. की राशि अप्रयाप्त है।ड्रग एण्ड कोस्मैटिक एक्ट 1940 ; 23 आफ 1940द्ध की धारा 33 म्ठ के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली औषधियों में भारी खनिजों की मात्रा एवं जिवाणुओं की मौजदगी सीमा ॅण्भ्ण्व् के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है। जिसके अनुरुप प्रयोगशाला की वर्तमान पाचों अनुभागों को और सुदृिढ करने की आवश्यता है ताकि इन अनुभागों में कार्य को सुचारु रुप से चलाने हेतू बांछित उपकरण एवं आवश्यक श्रम शक्ति उपलबध हो सके।नई प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरणों एवं थ्पगजनतम लगाने हेतू और आर्थिक वित्तीय सहायक की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 125.84 लाख रुपये का प्रस्ताव निदेशक आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है।जिसका विवरण निम्न हैः–

मद : गुणवता नियंत्रण :– औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर का सुदृिढीकरण

क.स.	मद	बांछित राशि
1.	<u>निर्माण एवम फिक्सचरज</u>	
	क. नये ब्लाक का निर्माण लंम्बित कार्यो को पूरा करना फिक्सचर एवम स्थल विकास	6.50
	ख. अनुसंधान एवम विकास कार्य के अन्तर्गत	6.00

हाल का निर्माण

ग. प्रयोगशाला के लिए फर्नीचर इत्यादि 3.20

2. **श्रम शक्ति**

क. दो वर्ष के लिए 11.40

ख. प्रशिक्षण एवम कार्यशाला 1.00

3. **उपकरण इत्यदि**

क. रसायन प्रयोगशाला 71.22

ख. अनुसंधान एवम विकास प्रयोगशाला 9.29

ग. फार्माकोग्नोसी एवंम माइक्रो बायोलाजी 9.24

घ. प्रलेखन/पुस्तकों एवंम पत्रिका इत्यादि 7.99

.....

कुलः– 125.84लाख

औषध स्तर विकास निर्धारण प्रक्रिया ;एस.ओ.पीद्ध
एस.ओ.पी योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003–04 ने 8 लाख रु. की वित्तीय राशि उपलब्ध करवाई गई । और 13 आयर्वेदिक औषधियों के स्तर निर्धारण का कार्य दिया गया उक्त परियोजना के अन्तर्गत किये गये लक्ष्यों का औषध निर्माण कार्य राजकीय आयर्वैदिक फार्मेसी जोगिन्द्रनगर द्वारा पुरा करने के उपरान्त स्तर मानक निर्धारण हेतू औषध परीक्षण प्रयोगशाला जोगिन्द्रनगर को भेजा जाना था इस परियोजना के अन्तर्गत व्यय का विवरण अनुबन्ध–6 में दर्शाया गया है। एस. ओ.पी परियोजना के अन्तर्गत आबंटित औषधियों की सूची :–

क्रमांकः	योग	संदर्भ
1.	त्रिफला चूर्ण	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।
2	त्रिकुट	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।
3	चतुर्जात	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।
4	सितोपलादिचूर्ण	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।

5	सेशमनी बटी	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–2
6	कुटजाघन वटी	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–2
7	गंधकादया मलहर	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–2
8	पारदादिलेप	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–2
9	दशांगलेप	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।
10	कल्कचूर्ण लेप	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।
11	अवलगुजादि लेप	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।
12	शोथधन लेप	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।
13	सर्सापादि	आयु.फामुल्यरी आफ इन्डिया भाग–।

Analytical work of the following drugs with different batches has been worked out:

1.	Triphala churna Batch	1,2,3
2	Kutajghan vati Batch	12,3
3	Samsamani Vati Batch	1,2,3
4	Trikatu churna Batch	1,2,3
5	Caturjata churna Batch	1,2,3
6	Sitopladi churna Batch	1,2,3

क्रम संख्या ।–6 तक की औषधियों के तीनों वैच का स्तर मानक निर्धारण कार्य पुरा करने के उपरांन्त अंन्तिम रिर्पोट भारत को भेजी जा चुकी है । केन्द्रीय आयुर्वेद सिद्व एवं अनुसंधान के पत्र संख्या. **5&5@CC/RAS-2006/Tech/APC/Hqrs** दिनांक 24 मार्च 2009 के अनुसार चल रहे लंम्बित कार्य को पुरा करने के आदेष दिये गये थे । तदानुसार कार्य पूरा होने पर करके रिर्पोट प्राप्त हो चुकी हैं।

राज्य सरकार द्वारा अनुश्रावणः–

विभाग द्वारा औषध परीक्षण कार्य के निर्धारित लक्ष्यों के कार्य संम्पादन की समय–2 पर समीक्षा करी जाती है । इस प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण संम्बन्धी विवरण रिपोर्ट विभाग को निरन्तर भेजी जाती है। निदेशालय स्तर पर त्रैमासिक एवंम वार्षिक बैठकों द्वारा संम्पादित कार्यो की समीक्षा करने के उपरांन्त आगामी कार्य हेतू समय–2 पर दिशा निर्देश दिये जाते हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोगशाला की गतिविधियों की समीक्षाः–

भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा सांविधिक गठित कमेटी द्वारा प्रयोगशाला के किया कलापों का समय–2 पर निरीक्षण किया जाता है। औषध परीक्षण से प्राप्त विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता के व्यय का विवरण अनुभाग अधिकारी महालेखाकार द्वारा सत्यापित कर विभाग के माध्यम से आयुष विभाग नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है । विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे स्तर निर्धारण कार्य की प्रगति का विवरण भारत सरकार की भैषज्य मुल्यांकन समिति को भेजा जाता है। उक्त समिति की स्वीकृति के उपरांन्त ही उपरोक्त औषधियों केडवदवीजेची को ।च् में प्रकाशित किया जाता है।

2010 के लिए निर्धारित लक्ष्यः–

बर्ष 2010 में विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त हाने वाले सभी जांच नमूनों का परीक्षण कार्य पुरा करके रिर्पोट विभाग को भेजी जायेगी ।

EXISTING INFRASTRUCTURE:

a) Building :-

I) Old Block :

Sr.No.	Name of the Lab./ Section	Area in Sq. Ft.
	Pharmacognosy Section	
1.	Pharmacognosy Laboratory	700
	Office	300
	Chemistry Section	
2.	Chemistry Laboratory	700
	Office	300
3	**Instrumental section**	700
	Store	300
4	Verandah	656

.

Total Area:

3656 Sq. Ft.(Say 4,000 Sq. Ft.)

II) New Block :

1.	Chemistry Lab.	6.0mx7.68m
2.	Instrumental store	6.04 mx3.50m
3.	ISM&H Lab	6.0mx7.68m
4.	R & D Lab.	6.0mx7.68m
5.	Drug Store	2.70mx4.75m

6	Analyst Office 4.77mx3.95m	
7.	Adm. Office	6.0x3.5m
8.	Chowkidar Room	2.40mx2.70m
	Toilet	1mx1.68m
	Kitchen 1.28mx1.68m	
9.	Toilets: Gents 1.50x3.62m	
	Ladies 1.50mx2.75m	
10.	Varanda: Ground floor	1.55 m wide
	Fist floor	2.45 m wide
	Total Area :	**2370x2 Sq. Ft. (Double Storey)**

Detail of the Equipments purchased from the central assistance

Sr.No	Name of instrument	Qty	Date of receipt
1.	Electronic Balance	One unit	Received 05
2.	Sieve Shaker	One	Received 04
3.	Refractometer (digital)	One	Received 03
4.	Dissolution rate test apparatus	One	Received 05
5.	Advanced Research Microscope	One	Received 03
6.	Ultra purification water system	One	Received 06
7.	Muffle furnace.	One	Received 06
8.	HPTLC System	One unit	Received 06

9. A.C (1.5 Ton) for instrumental lab. Two
Received 06

Instruments being procured:

1. Tablet Disintegration System (digital) One
2. Friability test unit (Digital) One
3. Double beam UV Spectrophotometer One
4. Rotary evaporator One
5. Moisture Analyzer One
6 Electromagnetic sieve shaker One
7 Rotospin Test Tube Rotator One
8 Salt Tester One
9 Hot Air Oven One
10 Gas Chromatograph One
11 BOD incubator (NSW) One

Following section are existing in DTL :-

1 Pharmacognosy/Botany
Pharmacognosy/Botany
2 Chemistry
Chemistry
3 Ayush X
4 Microbiology & Toxicology X
5 Instrumentation
Instruementation
6 Office
X

Position of the Regular staff recruited in the Lab.

Sr. No.	Name Pharmacognosy/Botany section	No of post	Existing	Vacant	Required new creation	Remarks
1	Scientific Officer	1	-	1		
	Assistant Botanist	1	1	--	1	Deputed from Herb

						al garden for three days in a week.
	Lab Assistant	--	--	--	1	
	Lab attendant	1	1	---	1	Deputed from Herbal Garden
2	**Chemistry**					
	Scientific Officer	--	---	---	1	
	Scientific Assistant	2	1	1		
	Pharmaceutical chemist	1	---	1		
	Lab Assistant (Res)	1	1	---		
	Lab Attendant	1	1	---		
3	**Microbiology/Toxicology**					
	Scientific Officer	-	-	-	1	
	Lab Assistant	-	-	-	1	
	Lab attendant	-	-	-	1	
4	**Instrumentation**					
	Scientific Officer	-	-	-	1	
	Lab Assistant	-	-	-	1	
	Lab attendant	-	-	-	1	
5	**R & D /ISM**					
	Scientific Officer	-	-	-	1	

	Lab Assistant	-	-	-	1	
	Lab attendant	-	-	-	1	
6	**Office**					
	Supdt	-	-	-	1	
	Data operator	-	-	-	1	
	Class IV	1	1	1	2	
	Daily wages	1	1	-	-	
	Sweeper	1	-	1	-	

Position of the staff recruited under the centrally sponsored schemes.

1) Strengthening of DTL:

Sr.No.	**Name & Designation**	No of post	Existing	Vacant
1	**Chemistry/Pharmaceutical Lab.**			
	Scientific officer (Chem.)	1	-	1
	Analyst/Lab Tech (Chem)	1	1	- -
	Lab attendant	1	1	---
	Safaiwala	1	1	---
2	**Pharmacognosy Lab**			
	Scientific officer (Chem.)	1	--	1
	Analyst/Lab Tech (Chem)	1	1	--
	Lab attendant	1	--	1
	Safaiwala	--	--	--
3	**Microbiology/Toxicology**			
	Scientific officer(Microbiology)	--	---	--
	Lab attendant	--	---	---
	Safaiwala	---	----	---
4	**Office**			
	Data operator	---	---	---

Development of Standard Operating Procedures (SOP) of SMPs ASU drugs

Sr.No.	**Name & Designation**	**No of posts**	**Existing**	**Vacant**
1.	Sr. Research Fellow	1	0	1
2 .	Jr. Research Fellow	1	1	-

Human Resource Requirement for Drug Testing Laboratory(SDTL)

1.**Statement in respect of expenditure of the Grant In Aid received from Deptt. of ISM & H Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India under the Project:**

A) ***Strengthening of Drug Testing Laboratory Jogindernagar. up to 31/3/09***

I) <u>Civil Works</u>

Sr. No.	***Name of component***	***Amount received***	***Amount released***	***Expenditure incurred***	***Unspent amount***
		(Rs. in Lacs)	(Rs. in Lacs)	(Rs. in Lacs)	(Rs.in Lacs)(Rs. in Lacs)

<u>Repair/maintenance/</u>

a) <u>addition/alteration of DTL(executing agency HP Agro Industries Shimla</u>)

15.00 14-00

b) <u>Construction of New Block of DTL(E. Agency HP Housing Board</u>)

19.55 lacs 25.00 lacs 25-00 lacs Nil

.

(15.00+4.55+5.45 intt)=**25.00**

---

a)+b) +intt = 34. 55

39,60021/- 39979/-

II) <u>Instruments</u>:

35.00 lacs 35.00 lacs 35.00 Nil

* 21.00 21.00 Orders placed 21.00

_____ _____ _____ _____

56.0 56.00 35.00
+intt.0.23997 21-00
57.0 **= 35.23997**
23997

III) Man Power :

6.24 lacs 6.24
521429 102571
102571

3.21 3.21
3.20000 0.01000 ----------

9.45 9.45
8.41429 1.03571

_____

Grand Total 100.00

Detail of Expenditure upto 31 March 2009 under the Central Assisted scheme
" Development of standard Operating Procedure (SOP) of manufacturing Process of Compound Ayurvedic Formulation."

Work/Financial Details	Funds released (Rs In Lac)	Headwise Expenditure	Total Expenditure	Balance
Purchase o modern equipments	1.10	-	105730	4270
Manpower or contractural basis	3.80	5357	354866	25134
Chemical and	1.38	----	1.38	Nil

consumables				
Maintenance o equipment/repair s etc.	**0.25**	**----**	**24555**	**445**
Contingencies and institutiona support	**1.17**	**----**	**1.17**	**Nil**
Honorarium t the projec Investigators	**0.30**	**---**	**0.30**	**Nil**
	8-00	**104399**	**770151**	**29849**

HUMAN RESOURCE REQUIREMENT FOR DRUG TESTING LABORATORY

A Botany/Pharmacognosy Loaboratory

1 Scientific Officer (M. Pharma/Ph D)
Or B. pharma/M.Sc
2 Analyst/Lab. Technician(B.Sc)

B Chemistry Section

1 Scientific Officer (M. Pharma/Ph.D)
Or.B. Pharma/M,Sc.
2 Analyst/Lab.Technician(B.Sc)

C **Ayush Section**

1 Scientific officer (Ay./8/U/H)
M.D(Rasashastra/Dravyaguna/Kusta Devasa/pharmacy of ISM & H/Materia-Medica of Homoeopathy.
Or-B.A.M.S/B.S.M.S/B.U.M.S/B.H.M.S
2 Lab.Attendan on contract
3 Safaiwala on contract.

D **Micro-biology & Toxicology Section.**

One expert with M.Sc/PhD/P.G in the concerned subject:

Note As regards emoluments for contractual scientific manpower for drug testing and evolving pharmacopoeial standards/SOPs etc.emoluments for Scientific officer/Analyst/Lab.Technician etc.have been included. For Ph.D/M.D(ASU)/M.Pharma/M.Tech.@ Rs. 11.000+HRA P.M. for M.SC/B.A.M.S@Rs. 9,000 P.M.+HRA, for B.Sc.@ Rs.8.000 P.M.+HRA per onth have been indicated (as per OSIR Pattern.

Contributing Laboratories & Institutions

The follwing institution have carried out the scientific work of monographs under APC Scheme :

1 Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Council of Scientific & Industrial Research.) Lucknow

.

2 I.P.G.T.R.A Gujarat Ayurved University , Dhanvntari Mandir, Jamnagar.

3 Industrial Toxicology Research. Centre (Council of Scientific & Industrial Research) Lucknow.

4 Jawaharlal Nehru Ayurvedic Medicinal Plants Garden & Herbariun (Central Council for Research in Ayurveda and Siddha) Pune.

5 National Botanical Reseach Institute (Council of Scientific & Industrial Research) Lucknow.

6 National Institute of Pharmaceutical Education & Research S.A.S. Nagar (Punjab).

7 C.S.M.D.R.I.A Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, Department of Ayush. New Delhi

8 Pharmacopocial at laboratory for Indian Medicine Department of Ayush, Ghaziabad.

Govt. Drug Testing Laoboratory Joginder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

9 Regional Research Laboratory (Council of Scientific & Industrial Research) Jammu – Tawi.

10 Regional Research Laoboratory (Council of Scientific & Industrial Research). Bhubaneswar.

11 Shri Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantari Marg Hanuman Nagar, Nagpur.

12 University Institute of Pharmaceutical Sciences, Punjab University, Chandigarh.

परिचय

हिमाचल प्रदेष राज्य देष के उत्तर पष्चिम भाग में 30 22′40′′ उत्तर से 33 12′20′ और 75 45′5′′ ई पूर्व के मध्य स्थित है । हिमाचल प्रदेष बहुत लम्बे समय से प्राचीन एवं महान विद्धानों की अध्यात्मिक विशयों की मनुश्य जाति की भलाई की षोध स्थली रही है । आयुर्वैदिक सहिंताओं में यह वर्णित है कि जो औशधिय पौधे, हिमालय क्षेत्र में पाये जाते हैं वे श्रेश्ठ हैं एवं कई असाध्य रोगों के निदान एवं चिकित्सा की औशधियों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं ।ऐसी ही एक सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेष में एन्जीयोस्पर्म की लगभग 3000 प्रजातियों में से लगभग 500 पौधों में औशधीय गुण पाये जाते है।

गर्म से लेकर अति ठंडी जलवायु परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेष वनस्पति व जन्तुओुं का एक विषेश प्राकृतिक आवास है । हिमालय की भौगोलिक स्थिति इस विविधता का मूल कारण है । राज्य की विविध कृशि ,विभिन्न जलवायु परिस्थिती के कारण, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विषेशता है । मुख्य रूप से राज्य में चार कृशि जलवायु क्षेत्र निम्न प्रकार से पाये जाते हैं ।

1. गर्म जलवायु वाले कम उचॅाई वाले पहाडी क्षेत्र (षिवालिक श्रृखलायें, समुंद्र से 800 मीटर तक)
2. मध्य उचॉई वाले पहाडी अर्ध ठंडे क्षेत्र (800 से 1800 मीटर के मध्य वाले)
3. उंचे नम षीतोश्ण क्षेत्र और अर्ध एल्पाइन क्षेत्र (2800 मीटर से उचें)
4. उंचे षुश्क षीतोश्ण क्षेत्र(हिमालय की उचॉई वाले क्षेत्र)

वर्तमान में दवाई निर्माता कम्पनियों की 20 प्रतिषत से अधिक सालाना वृद्धि है । केवल हि0 प्र0 में प्राईवेट क्षेत्र में कुछ समय पहले आयुर्वैदिक दवाई बनाने की इकाईयां नाम मात्र को थीं जो आज 110 के लगभग है । इससे प्रतीत होता है कि आयर्वैदिक दवाईयों की बाजार में मांग तेजी से बढ रही है । मुख्यतः कच्चे हर्बल उत्पाद की आपूर्ति जंगलों से एकत्र करके की जाती है ।

आयुर्वैद विभाग जडी बूटी और दवाईयों का मुख्य प्रयोगकर्ता व उपभोक्ता होने के कारण, यह निर्णय लिया गया कि जोगिन्दरनगर में एक केन्द्र स्थापित किया जाये जहां औशधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे सर्वेक्षण, एकत्रिकरण, प्रयोग, संरक्षण और कृशि आदि पर षोध किया जाये । जोगिन्दरनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराना आयुर्वैद विभाग का परिसर है जोकि औशधीय पौधों तथा गुणवता नियन्त्रण एवं आयुर्वैदिक दवाईयों का निर्माण कर रहा है विभाग ने वर्श 1994–95 से अपने जोगिन्दरनगर के षोध केन्द्र पर जडी बूटियों की सम्पदा के विकास के लिये एक विस्तृत कार्यकम चलाया हुआ है जिसमें जडी बूटियों के प्रोत्साहन , प्रयोग संरक्षण और प्रबन्धन पर कार्य किया जाता है । 19 अक्तूबर 1994 को तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने जडी बूटियों के हरवेरियम का उद्धघाटन किया था जिसमें जडी बूटियों से सम्बन्धित आलेख तथा पौधों के नमूने रखे जाते हैं ।

V.Pharmacies

Govt. Ayurvedic Pharmacy,Jogindernagar,District Mandi(H.P.)

During this year the targets for the manufacturing of Ayurvedic Medicines were fixed by the department which are as under:-

Target Allotted for the year 2006-07	Targets Achieved up to 3/2008	Total Cost of Medicines prepared for the year 2005-06
1	2	3
60	25	6060467

Government Ayurvedic Pharmacy ,Majra, District Sirmaur(H.P.)

During the year the targets for the manufacturing of Ayurvedic Medicines were fixed by the Department which are as mentioned below:-

Asava Section

Target Allotted for the year 2008-09	Targets Achieved up to 3/2009	Total Cost of Medicines prepared for the year 2008-09
33976 Litres	21000 Liters	46,30,614/-
Total 16 Medicines	Total 16 Medicines	

Bhasm Section

15975	12491 Kg.	20,29771
Total 18 Medicines	Total 18 Medicines	

Free Medical Camp

During the year 2007-08 the following free Ayurvedic Camps were held in the different are of the state

S.No	Name of District	Place where Camps Held	Proposed Camp	Period
1	Mandi	1) Karsog	Kashar Sutra	15-11-08 to 22-11-08
2.	Shimla	2) Dhalli	Free Medical Camp	17-5-08
		RAH Shimla	Free Medical Camp for Geriatrics	15-6-08 to 30-6-08
3.	Kinnaur	Recong Peo	Lavi Mela	30-1-08 to2-2-08
			Red cross Mela	1-5-08
			Homoeopathic Camp	30-10-08to 31-11-08
4	Bilaspur	Trilok Yubak Manda Pasloti	Free Medical Camp	15-1-2009
5	Kangra	Sub. Divi.Ayur. Hospital Dehra	Free Medical Camp	8-2-09 to 15-2-08

		Ayurvedic Health Centre Ghamroor	Free Medical Camp	20-4-08 to 27-4-08
7	Sirmour	Brma Papati	Free Medical Camp	27-8-08
		Renuka Mela	Free Medical Camp	7-11-2008 to 13-11-08
		Dangiyar	Free Medical Camp	15-12-08
		Dhaula Kua	Free Medical Camp	7-3-2009
8	Chamba	Mando	Free Medical Camp	22-6-08
		Sirdi	Free Medical Camp	5-7-08
		Khani	Free Medical Camp	6-7-08
		Nayagran	Free Medical Camp	17-7-08
		Ruhnukothi	Free Medical Camp	18-7-08
		Kugati	Free Medical Camp	28-7-08 to 30-7-08
		Tundah	Free Medical Camp	3-8-08 to 4-8-08
		Garola	Free Medical Camp	5-8-08
		Durgatti	Free Medical Camp	7-8-08

		Ulansa	Free Medical Camp	9-8-08
		Chanhotta	Free Medical Camp	12-8-08
		Kugati	Free Medical Camp	18-11-08
	Solan	Solan	Free Medical Camp	15-9-2008 to 24-8-2008
		Nalagarh	Kshar Sutra	15-3-09 to 22-3-09

हर्बल गार्डन

प्टण क.–1 हर्बल गार्डन जोगिन्दरनगर (अप्रैल 2008–मार्च 2009)

अ. कुल उधान भूमि

24 एकड

उधान की गतिविधियों के लिए रक्षित भूमि

18 एकड

भविश्य की योजना के लिए रक्षित भूमि

6 एकड

अ.1 भवन व अन्य निर्माणों के अधीन भूमि

1.61 एकड

अ.2 बहुवर्शीय पौधों के अधीन भूमि

1. पेडों के अधीन क्षेत्र

3 एकड

2. बेलों व झाडियों के अधीन क्षेत्र

3 एकड

3. पौधों और घास के अधीन क्षेत्र

1 एकड

अ.3 कृशि , कृशि तकनीक विकास, पोली हाउस, पौधषाला

और बीज सर्म्बधन के अधीन क्षेत्र

4 एकड

अ.4 सिंचाई नालियों, टैंक व नाले

0.39 एकड

अ.5 भूमि विकास अधीन क्षेत्र

1.5 एकड

अ.6 प्रर्दषनी क्षेत्र

अ.2और अ.3

अ.7 सडक, रास्ते

1.5 एकड

ब. हर्बल गार्डन में निर्माण

ब.1 पोली हाउस 6(2–25ग 25 मी0,4–10ग 40 मी0) आकार

ब.2 जालीदार पौध गृह 1

ब.3 सुखाने व भण्डारण गृह निर्माण 1 (9 मी0ग 9 मी0)

स. अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक के कार्यो का व्यौरा

स.1 भूमि की तैयारी 5 एकड

स.2 पौध/पौध करतने 2000 वर्गमीटर

स.3 खुले खेत में तैयार पौध

(तुलसी, ब्रहमी, अष्वगंधा, सर्पगन्धा,षतावर, संसपाई, स्टीविया) 25000 पौधे

स.4 पोली हाउस में तैयार पौधे

(तेजपत्र,हरड,बहेडा,आंवला,कौंच,सर्पगन्धा,षतावरी,वासा, कडीपता आदि) 5000 पौध

स.5 पौध रोपण 15000 एक वर्शीय

1600 बहुवर्शीय

स.6 बीज व पौध का विपणन

97364/– रूप्ये

स.7 ग्रीन/ पौलीहाउस में पौध तैयार

(षतावरी 1000)(सर्पगन्धा 1000)(संसपाई 500)

मघपिपली,बनफषा, ब्रहमी,तुलसी, स्टीविया, अष्वगन्धा आदि)

स.8 नये पौधों का कृशिकरण व सम्र्बधन

(जीवक, मुरा, जंगली प्याज,पाशाणभेद,पुर्ननवा,सफेद मूसली,

स्टीविया, नीम, जैट्रोफा आदि)

स.9 प्रायोगिक कृशि/ बीज सम्र्बधन

(मालकंगनी,षतावरी,सर्पगन्धा,तुलसी,कपूरतुलसी,तेजपत्र,वच,ब्रहमी,

धनिया,लहसुन,हल्दी,वासा,सफेदमूसली)

स.10 पौध क्यारियों में पौध करतन प्रयोग

(जिन्को,तालिसपत्र,मघपिपली,स्टीविया,बुलगेरियन गुलाब आदि)

ग. नई जडी–बूटियों उगाई गईः– नीम और जेट्रोफा

घ. प्रायोगिक कृशि से उत्पादन

कम सं0	औशधियों के नाम	मात्रा(लगभग)
1.	तुलसी	200 कि0 ग्राम
2.	बारहमासी तुलसी	200 कि0ग्राम
3.	आंवला	10 कि0 ग्राम
4.	ब्रहमी	60 कि0 ग्राम
5.	जम्बीरी	50 कि0 ग्राम
6.	धनिया	25 कि0 ग्राम
7.	हल्दी	30 कि0 ग्राम
8.	तेजपत्र	10 कि0 ग्राम
9.	कतरीन	10 कि0 ग्राम
10.	वच	25 कि0 ग्राम
11.	हरड	50 कि0 ग्राम
12.	बहेडा	100 कि0 ग्राम

13.	मधुपत्री	10 कि0 ग्राम
14.	षतावर	10 कि0 ग्राम

च. साल के दौरान बीज एकत्र

कम सं0	औशधियों के नाम	मात्रा(लगभग)
1.	कस्तूरी भिण्डी	200 ग्राम
2.	उलट कम्बल	500 ग्राम
3.	संसपाई	500 ग्राम
4.	मालकंगनी	2000 ग्राम
5.	वायविडंग	2000 ग्राम
6.	आंवला	100 ग्राम
7.	चन्द्रषूर	1000 ग्राम
8.	लाजबन्ती	200 ग्राम
9.	रामतुलसी	1000 ग्राम
10.	ष्याम तुलसी	300 ग्राम
11.	सर्पगन्धा	1500 ग्राम
12.	कारडैक्स	500 ग्राम
13.	अर्जुन	9000 ग्राम

छ. नर्सरी में तैयार पौधः– 5000 पौध

कम सं0	औशधियों के नाम
1.	वासा
2.	ससंपाई
3.	पूर्ननवा
4.	मालकंगनी
5.	वायविडंग
6.	आंवला
7.	तेजपत्र
8.	कौंच
9.	कढीपत्र

10. ष्योनाक

11. सर्पगन्धा

12. रीठा

13. हरड

14. बहेडा

15. अष्वगंधा

16. करंज

ज. वर्मीकल्चर खाद 6 किवंटल

झ. गुटटी लगानाः– आंवला,रूद्राक्ष,दालचीनी आदि

प. अन्य आवष्यक कार्यः–

1. खरपतवार व निराई गुडाई खेतों में

2. नर्सरी क्षेत्र, पोली हाउस और गमलों को पानी देना व खरपतवार नियन्त्रण

3. 1000 के लगभग पौधों को खाद देना

4. जडीबूटियों जैसे तेजपत्र, हल्दी,हरड, मालकंगनी,संसपाई, तुलसी,वासा की झाडियों की कटाई

5. किसानों, छात्रों और अन्य आगन्तुकों को गार्डन का भम्रण करवाना

6. गढढे खोदना (1ग1 ग1.5 मी0) तथा पौधों के तौलिये बनाना(वर्श में दो बार)

क–2 हर्बल गार्डन नेरी(हमीरपुर, हि0 प्र0)

अ. कुल क्षेत्रफल

28 एकड

अ.1 उधान की गतिविधियों के अन्तर्गत क्षेत्र

16 एकड

अ.2 बहुवर्शीय पौधों के अधीन क्षेत्र

8 एकड

1. पेडों के अधीन

6 एकड

2. बेलों और झाडियों के अधीन

1.5 एकड

3. पौधों और घासों के अधीन

0.5 एकड

अ.3 प्रायोगिक कृशि , कृशि तकनीक विकासए
पोली हाउस,नर्सरी और बीज सम्बर्धन के अधीन क्षेत्र

3 एकड

अ.4 सिंचाई नालियों / टैंक / नाले

0.25 एकड

अ.5 विकास के अन्तर्गत क्षेत्र

2.5 एकड

अ.6 प्रदर्षनी क्षेत्र

अ.2 और अ.3

अ.7 रास्ते / सडक अधीन क्षेत्र

1.75 एकड

ब. उधान में निर्मित भवन इत्यादि

ब.1	पोली हाउस	2(10.5 ग 4 मी) प्रत्येक
ब.2	जालीदार पौधषाला	1(20ग 10 मी0)
ब.3	मालीहट	1(4ग 4 मी0)
ब.4	हर्बल स्टोर और कार्यालय	1(16ग 10 मी0)
ब.5	सुखाना और प्रसंस्करण गृह	1(15ग10 मी0)
ब.6	पानी के टैंक	1(5ग3 मी0)

स. 1 अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक के कार्यों का व्यौरा

स.1	भूमि तैयारी	2 एकड
स.2	पौध/पौध करतने	200 वर्ग मीटर

स.3 खुले क्षेत्र में पौध उगाई 5000 पौध
(अष्वगंधा, कालमेघ,अकरकरा,तुलसी,इष्बगोल,
चन्द्रषूर,जैद्रोफा,मघपिपली, पूर्ननवा,कतरीन आदि

स.4 पोली टयूब में तैयार पौधे 6000
(नीम, चंदन,हडजोड, मालकंगनी)

स.5 पौधरोपण 2000

स.6 पौध बिकी व संस्थान किराया
52115/–

स.7 ग्रीन हाउस में तैयार पौधे 2000
(अष्वगंधा,सर्पगन्धा, वावची, चन्दन आदि)

स.8 पौधों का सम्वर्धन और कृशिकरणः चन्द्रषूर, रूद्राक्ष,उल्टकम्बल, चन्दन, हडजोड, हल्दी, कपूर काचरी आदि

स.9 पौध प्रायोगिक कृशि के अन्तर्गत : वाघनखा, मुलेठी,षालपर्णी, घृतकुमारी, छोटी कंटकारी

स.10 नर्सरी में पौध करतनेः मुलेठी,गिलोय,मेहंदी, चमेली,घृतकुमारी आदि।

च. नये औशधीय पौधे :– पुत्रजीवा,स्टीविया, घृतकुमारी

छ. उघान उत्पाद प्रायोगिक कृशि से :–

कम सं0	पौध नाम	मात्रा(किलोग्राम)
1.	कतरीन	5 किलोग्राम
2	अपामार्ग	8 किलोग्राम

3. सर्पगन्धा

3 किलोग्राम

4. कालमेघ

5 किलोग्राम

5. हरड

20 किलोग्राम

6. बहेडा

10 किलोग्राम

7. पुदीना

5 किलोग्राम

8. पिपरमिंट

5 किलोग्राम

9. कपूरतुलसी पंचाग

20 किलोग्राम

10. हल्दी

2 किलोग्राम

ज. वर्श में एकत्र किये गये बीज :

कम सं0 पौध नाम

मात्रा(किलोग्राम)

1. मालकंगनी

7 किलोग्राम

2. अर्जुनछाल

20 किलोग्राम

3. वला

0.5 किलोग्राम

4. सर्पगन्धा

0.4 किलोग्राम

5. अष्वगन्धा

0.25 किलोग्राम

6. आंवला

0.10 किलोग्राम

7. कालमेघ

0.05 किलोग्राम

8. काला धतुरा

0.02 किलोग्राम

9. हरड

5 किलोग्राम

10. बहेडा

2 किलोग्राम

11. एरंड

0.1 किलोग्राम

12. जयपाल

0.2 किलोग्राम

13. अमलतास

0.05 किलोग्राम

14. चित्रक

0.1 किलोग्राम

15. षतावर

0.2 किलोग्राम

16. बाघनखा

5 किलोग्राम

17. संसपाई

0.05 किलोग्राम

18. बाकुची

0.05 किलोग्राम

19. चन्दन

1 किलोग्राम

20.	अकरकरा	

0.25 किलोग्राम

झ. नर्सरी में तैयार पौधः–

क्रम सं0	पौध नाम	संख्या
1.	नीम	900
2.	चन्दन	400
3.	मधुपत्री	200
4.	करंज	150
5.	षतावर	400
6.	हरड	230
7.	बहेडा	450
8.	अर्जुन	200
9.	रीठा	20
10.	विल्व	300
11.	मालकंगनी	500
12.	आंवला	500
13.	जामुन	200
14.	काला धतुरा	100
15.	संसपाई	70
16.	अष्वगंधा	180
17.	सर्पगन्धा	200
18.	पीतकनेर	100
19.	पुत्रजीवा	120
20.	हडजोड	200
21.	तुलसी	50
22.	सुहाजन	100
23.	कालमेघ	200
24.	कौंच	30

ट. पौधरोपण व्यौराः

क्रम सं0	**पौध नाम**	**संख्या**
1.	**घृत कुमारी**	**428**
2.	**अष्वगंधा**	**200**
3.	**सर्पगन्धा**	**400**
4.	**मुष्कीकपूर**	**22**
5.	**तेजपत्र**	**15**
6.	**काला धतूरा**	**350**
7.	**हरड**	**105**
8.	**आंवला**	**35**
9.	**बहेडा**	**100**
10.	**कतरीन**	**60**
11.	**कालमेघ**	**200**
12.	**कौंच**	**30**
13.	**नीम**	**50**

ठ. गुटटी लगाईः– रूद्राक्ष की 100 टहनियों पर गुटटी लगाई गई थी जिसमें से 20 प्रतिशत सफल रही ।

ड. अन्य गतिविधियॉः

1. उपरोक्त लिखित पौधों में खरपतवार नियन्त्रण,खाद देना, सिंचाई करना।
2. पोलीबैग को ढंकने के लिये शैड नैट का निर्माण ।
3. 1000 पोलीबैग भरे गये ।
4. तोलिये निर्माण, मलचिंग इत्यादि समय–2 पर करना ।
5. 8 एकड भूमि से झाडियों की कटाई।
6. किसानों ,छात्रों और अन्य लोगों को जानकारी देना ।
7. हमीर उत्सव, सुजानपुर होली मेले में प्रर्दशनी लगाना और प्रथम स्थान प्राप्त करना ।
8. बहुवर्षीय पौधों का रख रखाव ।
9. सेमी प्रोसेसिंग केन्द्र का रख रखाव ।
10. कांटेदार तार का रख रखाव जैसे तारें कसना, जोडना आदि

क. 3 हर्बल गार्डन, धुमरेडा जिला शिमला हि0 प्र0

परिचय

वर्ष 1998–99 में आयुर्वेद विभाग ने हर्बल गार्डन स्थापित करने के लिए जिला शिमला के धुमरेडा गांव में 7 एकड भूमि का अधिग्रहण किया । इसका मुख्य उद्धेश्य एक ऐसे जडी बूटी उधान को विकसित करना है जहॉ पर उॅचे स्थानों पर पाई जाने वाली कीमती जडी बूटियों को उगाया, उच्च गुणवता का बीज तैयार करना और आसपास के किसानों को जडी बूटियों के सम्बर्धन ,कृषिकरण और प्रयोग की तकनीकी जानकारी प्रदान करना है और विपणन करने सम्बन्धी सहायता करना जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार हो ।

जब से यह उधान स्थापित हुआ है इसे अनुसंधान संस्थान जोगिन्दरनगर से जोडा गया है इस उधान में कई केन्द्रीय प्रायोजिल परियोजनाओं में उचाई में पाई जाने वाली कीमती जडी बूटियों का उच्च गुणवता का बीज तैयार करने की चल रही है ।

धुमरेडा जडी बूटी उधान की भौगोलिक स्थिती

स्थितीः गांव धुमरेडा, डाक0 देवीधार तैह0 चिडगांव , जिला शिमला ,हि0 प्र0

कृषि जलवायु परिस्थितिकीः उॅची पहाडियों वाला नम ठंडा क्षेत्र

उॅचाई : 8000 मीटर से उॅचा

उधान की भूमि की स्थिती

कुल भूमिः	7 एकड
विभिन्न परियोजनओं के अधीन भूमि	5 एकड
भविष्य की योजनाओं के लिए रक्षित क्षेत्र	1 एकड
भवन इत्यादि के अन्तर्गत क्षेत्र	1/2 एकड
प्रर्दशनी प्रक्षेत्र व नर्सरी क्षेत्र	1/2 एकड

मानव शक्ति / स्टाफ

1.	उधान प्रभारी	1
2.	माली	1
3.	बेलदार	1

4	आकस्मिक बेलदार	14

अन्य सुविधायें

1.	बीज भण्डार	3
2.	पोली गृह	1
3.	शेड नैट गृह	1
4.	नर्सरी शेड नैट गृह	1
5.	औजार	जरूरत के अनुसार
6.	उधान की सुरक्षा	कांटेदार तार
7.	वर्मी कम्पोस्ट पिट	2
8.	सिंचाई सुविधा	जरूरत के अनुसार

विभिन्न परियोजनाओं के अधीन निर्माण कार्य प्रस्तावित

1.	सोलर ड्रायर	1
2.	औजार भण्डार	1

प्रर्दशनी व उच्च गुणवता का बीज तैयार करने के लिये उधान में उगाई गई महत्वपूर्ण जडी बूटियां

क्रम सं0	नाम	पौध 2008–09 में तैयार की संख्या	गुणवता का पैमाना बीज मात्रा	
	बीज(ग्राम)	पौध		
1.	कशमीरी अकरकरा 1000	1000	जैविक खेती	50
2.	वत्सनाभ 500	500	यथावत	0
3.	अतीस 1लाखसेअधिक	50000	––	1000
4.	चोरा 500	500	––	200
5.	रतनजोत ––	40	––	.––

6.	पाषाणभेद	600	——	——
	——			
7.	सालमपंजा	2000	——	——
	——			
8.	तिलपुष्पी	3000	——	50
	2000			
9.	सिंगलीमिंगली	100	——	——
	——			
10.	पतराला	300	——	50
	500			
11.	पुष्करमूल	20	——	——
	——			
12.	जटामांशी	20	——	——
	——			
13.	कडु	50000	——	——
	20000			
14.	बनककडी	1000	——	200
	1000			
15.	मेदा	1000	——	——
	2000			
16.	रेवन्दचीनी	500	——	——
	2000			
17.	मूरा	5000	——	50
	2000			
18.	कस्तूरीपत्र	50	——	——
	——			
19.	चिरायता	2000	——	20
	2000			
20.	रखाल	300	——	——
	——			

21.	बनअजवायन	300	——	——
	——			
22.	जंगली प्याज	200	——	——
	——			
23.	सुगंधवाला	5000	——	——
	——			
24.	बनफशा	200	——	——
	——			

<u>राज्य के वित्त प्रावधान के अन्तर्गत गतिविधियॉ</u>:—जडीबूटी उधान धुमरेडा में सारी गतिविधियां केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अधीन चलाई जा रही है इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	वित्त पोषण संस्था	कुल राशि	राशि प्राप्त	समय	टिप्पणी
1.	प्रोपेगेशन आफ कवालिटी प्लांटिग मैटीरियल एंड सीड प्रोडक्शन(छवण्ळब्भ्च् 2ध्2005 ।	स्वास्थय मन्त्रालय,भारत सरकार	15 लाख	6 लाख	3	पहली किस्त खर्च करने के बाद सहायता बन्द कर दी गई
2.	प्रोपेगेशन आफ कवालिटी प्लांटिग मैटीरियल आफ हाई वैल्युड मैडीसीनल प्लांट फार प्रोमोटिंग कोन्टैक्ट फार्मिंग इन एच.पी.(छवण्ळब्भ्च् 3ध्2005 ।द्ध	यथोपरी	15 लाख	8 लाख	3	यथोपरी
3.	प्रोडक्शन एण्ड यूटीलाईजैशन आफ हर्बल इन कोलेबोरेशन वीद हर्बल गार्डन एण्ड फार्मेसी;च्तण्छवण्ळब्भ्च् 01ध्2007द्ध	यथोपरी	6 लाख	2.5 लाख	3	कार्यप्रगति पर है
4.	द प्रोडक्शन आफ न्यूकिलस / बैसिक	होर्टीकलचर टैक्नोलाजी	11.01 लाख	11.01	3	परियोजना समाप्त हो गई है

	प्लांटिंग मैटीरियल फार मैडीसीनल प्लांट अण्डर होल्टीकल्चर मिशन टैकनोलोजी मिशन–एम.एम.–1	मिशन वाया सी.पी.ओ.आई. शिमला				

जडी बूटी उधान धुमरेडा की उपलब्धियॉ (2005 से 2008)

– भूमि विकास – लगभग 4 एकड भूमि

– खेत तैयार – लगभग 100 से अधिक छोटे बडे आकार के

– प्रर्दशनी प्लांट – 25 से ज्यादा प्रजातियां 300 खेतों में

– नर्सरी क्षेत्र – 1/2 एकड

– भवन निर्माण – बीज भण्डारण गृह –3

शेड नैट गृह –1

पेाली हाउस –1

सिंचाई सुविधायें– तैयार

निर्माण कार्यो के लिये वित्त दिया गया

1. सोलर ड्रायर 2. पोली हाउस

आय 2008–09 रूप्ये 5000/– (पैसा आना बाकी है)

किसान प्रशिक्षण शिविर

क्रम सं0			लाभान्वित व्यक्ति
1.	5 दिवसीय	1	20
2.	प्रदर्शनी	2	144
3.	1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर	8	461

लक्ष्य 2009–10 के लिये

1. चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र समाप्त करना

2. औजार भण्डारण गृह का परियोजना के अन्तर्गत निर्माण करना

3. लगभग 15000 अतीश और 10000 करतने कुटकी की उधान में लगाना

4. तिलपुष्पी, रेवन्दचीनी, वनककडी आदि को भी उधान में लगाया जाएगा

प्रशिक्षण और प्रसार गतिविधियां

अ. किसान प्रशिक्षण शिविर

राज्य में किसानों तथा अन्य लोगों के लिये किसान प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली औषधीय पौधे के पहचान,संरक्षण,सम्बर्धन,कृषिकरण तथा प्रयोग के महत्व बारे जागरूकता लाई जा सके । लोगों को शिविरों में घर के आसपास पाई जाने वाली जडी बूटियों के प्रयोग की जानकारी दी जाती है ताकि इन जडी बूटियों से सस्ते में भोजन सामग्री तथा अन्य गुणवता युक्त पदार्थ प्राप्त किये जा सकें । प्रयोग के तौर पर लोगों को आवंला,अजवायन, मालकंगनी, एरंड,वला,सनूही,तुलसी,भृंगराज ,बुरांस,ब्रहमी,गिलाये,गुलाब, पुदीना,हरड,बहेडा आदि के उत्पाद बनाने सिखाये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सिर में लगाने तथा दर्द निवारक तेल बनाने भी सिखाये जाते हैं । इन विषयों पर जानकारी देने के लिये सस्ती दरों पर घर में ईलाज की श्रृंखला तैयार की गई हे जो लोगों को जानकारी प्रदान करती है। इसके लिये किसानों को संस्थान से बाहर प्रर्दशनियां लगाकर जागरूक किया जाता है। किसानों तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार से पौधों के श्रेणीकृत करके सस्ती दवाईयों के उपयोग के बारे में बताया जाता है जैसे जच्चा–बच्चा,पंचकर्म, और बुढापे में प्रयोग होने वाली जडी बूटियॉ आदि । डी0 एफ0ओ0 और बी0डी0ओ0 से पत्राचार करके भी लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है ।

लाभकर्ता

कार्य का व्यौरा 1.4.08

से 31.3.09 तक

1. कुल जागरूकता भ्रमण शिविर और प्रशिक्षण 85

2452

2. किसान जागरूकता भम्रण (संस्थान में) 31

(संस्थान से बाहर) 3

1162

3. अन्य जागरूकता भम्रण और शिविर 41

1222

4. किसान/ अन्य प्रशिक्षण शिविर 2

68

5. विभागीय प्रर्दशनी

7

1.जोगिन्दरनगर मेला 1से 5.4.08

2.भारत निर्माण मेला 22 से 26.4.08

3.रेडक्रास मेला 21.9.08

4.किन्नौर उत्सव रिकांगपिओ में 30.10.08 से 2.11.08

5.हमीर उत्सव 1 से 5.11.08

6.व्यापार मेला , दिल्ली 14 से 27.11.08

7.सुजानपूर होली मेला 9 से 11.3.08

6. अन्य (छात्र,शोधार्थी, स्वंयसेवी संस्थान, सरकारी अधिकारी)

लाभकर्ता

कार्य का व्यौरा 1.4.09

से 30.5..09 तक

–कुल जागरूकता भम्रण व प्रशिक्षण शिविर 5

129

–किसान/ अन्य प्रशिक्षण शिविर 3

102

–अन्य जागरूकता भम्रण व शिविर 2

27

–विभागीय प्रर्दशनियॉ

(जोगिन्दरनगर मेला 1 से 5.4.09

– प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन से एकत्र फीस 19750/–

–किसान भवन से एकत्र फीस 127502/–

– कुल फीस प्राप्ति 147252/–

हरबेरियम

उद्धेश्यः–

– औषधीय पौधों के नमूनों के पहचान कर व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित व संग्रहित करना ।

– प्रयोज्य–अंग के अनुसार औषधीय पौधों के नमूनों का पंचाग,मूल,त्वक, पत्र,ुल एवं बीज आदि के अनुसार वग्रीकृत कर दर्शाना।

– किसान एवं ग्रामीण लोगों, आयुर्वेदिक चिकित्सकों,आयुर्वेद के छात्रों, गैर सरकारी संस्थाओं , फार्मेसी, उधोग, अनुसंधान आदि से जुडे हुए लोगों को औषधीय पौधों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाना ।

– संस्थान द्वारा तैयार की गई औषधीय पौधों से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी सहित मुद्रित सामग्री का प्रदर्शन ।

1. **औषधीय द्रव्यों के नमूनों का रखरखावः**

वर्तमान में रखे गये हरबेरियम में 525 हर्बल द्रव्यों को साफ किया गया तथा जहां जहां आवश्यकता समझी गई वहां इन्हें कीटों आदि के प्रभाव से बचाने के लिए रासायनिक विष का प्रयोग करके सुरक्षित रखा गया । यहां यह लिखना उचित रहेगा कि इन नमूनों को समय –2 पर पैथोजन, वैक्टिरिया, फफूंद व कीटों आदि से बचाने के लिए रसायनिक विष का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है ताकि यह नमूने हरबेरियम में सुरक्षित प्रदर्शित किये जा सकें ।

2. **औषधीय पौधों के हरबेरियम शीटज पर संग्रहित नमूनें**

संग्रहालय में पूर्व संग्रहित लगभग 5090 औषधीय पौधों की हरबेरियम शीटस का रख रखाव किया गया तथा इन्हें कीटों आदि के प्रभाव से बचाने के लिए रसायनिक विष का प्रयोग करके सुरक्षित रखा गया ।

3. **वर्गीकरण(फैमलीज) की सूचना**

हरबेरियम में प्रदर्शित 5090 हरबेरियम शीटज की 84 फैमलीज का साहित्य हरबेरियम शीटज के लिए बनाई अलमारियों(बाक्स)के बाहर प्रर्दशित किया गया ताकि हर प्रकार के आगन्तुकों को इनकी तुरन्त सूचना प्राप्त हो सके।

4. **सपीसिज कवर के कम्पयूटरीकृत लेबल बदलना**

वर्तमान में रखे गये 514 में से 300 सपीसिज कवर(फाईलें) जिस में औषधीय पौधों की हरबेरियम शीटज रखी जाती है के पुराने लेबल की जगह नए कम्पयूटरीकृत लेबल लगाये गये तथा बाकी को बदलने का काम प्रगति पर है ।

5. **अतिरिक्त हर्बल नमूने प्रदर्शित करने /पुराने नमूनों या हरबेरियम शीटज को बदलना**

समय–2 पर कुछ हर्बल नमूनों एवं हरबेरियम शीटज को बदलना अनिवार्य हो जाता है और यह लगातार जारी रखने की प्रक्रिया है । इसके अन्तर्गत ब्रहमी,सफेद मूसली, पुदीना,तुलसी, वाबुई तुलसी,कर्पूर तुलसी,हरड, बहेउा, आंवला,गिलाय,अश्वगन्धा, मण्डूकपर्णी, भृंगराज,चित्रक, वच, रखाल आदि के नमूनों को बदला गया ।

6. हर्बल पौधों के नमूनों को इकटठा करने के बाद एवं हरबेरियम शीटज बनाने एवं इनके प्रर्दशन तक एक लम्बी प्रक्रिया है जैसे इनमें रसायनिक विष लगाना,हर्बल प्रैस में दबाना, हरबेरियम में रखे मांउट बोर्ड (जिस पर हर्बल नमूनों को चिपकाया जाता है)पर चिपकाना एवं संग्रहित कर प्रदर्शित करना । वर्तमान में 20 हरबेरियम शीटज को हरबेरियम में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया जारी है ।

7. **मुद्रित सामग्री की बढोतरी**

20 हर्बल पौधों से सम्बन्धित अतिरिक्त मुद्रित सामग्री को हरबेरियम में प्रदर्शित किया गया ।

8. **आगन्तुको को शिक्षण/ जानकारी**

विभिन्न क्षेत्रों से आए 1653 आगन्तुकों जैसे किसान एवं ग्रामीण लोग, आयुर्वेद के छात्रों , आयुर्वेद चिकित्सकों , गैर सरकारी संस्थाओं , फार्मेसी उधोग एवं अनुसंधान से जुडे लोगों आदि को औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे पहचान एवं उनका प्रयोग आदि के बारे में जानकारी दी गई ।

9. **विभागीय प्रर्दशनियां**

संस्थान के प्रशिक्षण अनुभाग को प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर निम्नलिखित प्रर्दशनियां आयोजित करने में सहयोग दिया गया ।

1.जोगिन्दरनगर मेला 1से 5.4.08

2.भारत निर्माण मेला 22 से 26.4.08

3.रेडक्रास मेला 21.9.08

4.किन्नौर उत्सव रिकांगपिओ में 30.10.08 से 2.11.08

5.हमीर उत्सव 1 से 5.11.08

6.व्यापार मेला , दिल्ली 14 से 27.11.08

7.सुजानपूर होली मेला 9 से 11.3.08

हरबेरियम में प्रदर्शित 31.3.2009 तक हर्बल नमूनों की स्थिती :

अ.हर्बल नमूने	
अ.1 विभिन्न हर्बल द्रव्य	
नमूने का नाम	संख्या
मूल औषधीय द्रव्य	96
त्वक औषधीय द्रव्य	54
पत्र औषधीय द्रव्य	68
फूल औषधीय द्रव्य	25
फल/ बीज औषधीय द्रव्य	74

पंचाग औषधीय द्रव्य	52
कुलः	369
अ.2 विशिष्ट तरह के हर्बल नमूने	
जच्चा एवं बच्चा के स्वास्थय में प्रयोग होने वाले औषधीय द्रव्य	30
मसालों के रूप में होने वाले औषधीय पौधे	20
विभिन्न बिमारियों में उपयोग होने वाले औषधीय पौधे	50
मिश्रित वर्गीकरण के अनुसार औषधीय पौधे	31
हर्बल गार्डन जोगिन्दरनगर में उगाए जाने वाले औषधीय पौधे	25
कुलः	156
कुल नमूने अ.1अ.2	525
आ. हरबेरियम शीटज	5090
औषधीय पौधों के कुल फैमलीज	84
औषधीय पौधों के जैनरा	314
औषधीय पौधों के सपीसिज	504

वनस्पति अनुभाग

प्रोजनी हर्बल गार्डन की स्थापना :–अनुसंस्थान , जोगिन्दरनगर के परिसर में वानिकी विभाग हि0 प्र0 के सौजन्य से भ्वतजपबनसजनतम ज्मबीदवसवहल डपेपवदके अन्तर्गत एक प्रोजनी हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है । इस प्रोजनी;च्तवहमदलद्ध हर्बल गार्डन में बढिया विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के बीज तथा पौध तैयार कर प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर किसानों, बागवानों तथा अन्य संगठनों को दिए जा रहे हैं जोकि औषधीय पौधों की खेतीबाडी में रूचित रखते हैं ।

निम्न औषधीय पौधों की प्रजातियां तैयार की जा रही है ।

1. कालमेघ
2. सफेद मूशली
3. शतावर
4. ब्रहमी
5. सनाय
6. अमलताश
7. मण्डूकपर्णी
8. कपूर
9. तेजपत्र
10. जिन्को

11.	कढीपत्ता	12.	बाबुई तुलसी
13.	तुलसी	14.	काली तुलसी
15.	सर्पगन्धा	16.	ऐरण्ड
17.	स्टीविया	18.	अर्जुन
19.	बहेडा	20.	हरड
21.	अश्वगन्धा	22.	आमला
23	मालकंगनी		

औषधीय पौधों की पहचानः– इस संस्थान द्वारा औषधीय पौधों की पहचान की जाती है तथा पहचान करने के उपरान्त इनका सारा रिकार्ड हरबेरियम में रखा जाता है । इस वर्ष ब्यैण्ज्ञण हि0 प्र0 कृषि विश्वविधालय तथा अन्य स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा भेजे गये औषधीय पौधों के नमूनों की जांच की गई । इसके अतिरिक्त इस अनुभाग द्वारा Sher-e Kashmir University of Agriculture Science & Technology ,Jammu के साथ एक केन्द्रीय परियोजना Free Radical Scanvenger & Antioxident activities of Selected North Western Himalaya Plants] परियोजना के अधीन औषधीय पौधों के नमूने एकत्र करके उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है ।

औषधीय पौधों के बीजों का चयनः– उत्तम किस्म के औषधीय पौध तैयार करने के लिए बीजों की ैबतममदपदह कर उनके औषधीय पौध तैयार किये जाते हैं । इस वर्ष हरड,बहेडा,आमला व तेजपत्र के पौधों के बीज को ैबतममद करने के पश्चात वन मण्डल अधिकारी को रोपण के लिए दिया गया ।

कच्ची जडी बूटियों की पहचानः– औषध परीक्षण प्रयोगशाला , जोगिन्दरनगर में वनस्पति अनुभाग द्वारा 500 से अधिक जडी बूटियों के नमूनों की पहचान की गई तथा निम्न प्रकार से टेस्ट किये गये :

1. Macroscopic character of raw material.
2. Microscopic character of raw material.
3. Histoloy study & drawing of raw material.
4. Preparation of permanent slides.

औषधीय नमूनों की जांचः– 300 से अधिक औषधीय नमूनों जोकि सरकारी एवं गैर–सरकारी फार्मेसियों द्वारा प्राप्त हुए, उनकी भैषज्य जांच करके रिपोर्ट दी गई ।

एस0ओ0पी0 परियोजनाः– इस परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मानक निर्धारण के लिए 13 औषधी प्रदान की गई थी ।

इसके अन्तर्गत 6 औषधियों के मानक निर्धारण कर भारत सरकार को आगामी कार्यवाही हेतू भेजे गये हैं ।

2009–10 के लक्ष्य

1. सर्वे करके औषधीय पौधों के नमूने एकत्र करना ।
2. औषधीय पौधों की पहचान ।
3. बीज तथा पौध का चयन करना ।
4. कच्ची जडीबूटियों की पहचान ।
5. औषधियों की पहचान ।
6. एस0ओ0पी0 परियोजना ।
7. औषध परीक्षण प्रयोगशाला के परिसर में औषधीय पौधे लगाना ।
8. Sher –e – Kashmir University of Agriculture Science & Technology , Jammu के साथ परियोजना Free Radical Scanvenger & antioxidant activities of selected North Western Himalaya Plant' के लिये कार्य करना ।

वर्ष 2009–10 में हर्बल गार्डन जोगिन्दरनगर के परिसर में निम्न पौध लगाए जाएंगे ।

1. कालमेघ
2. सफेद मूशली
3. शतावर
4. ब्रहमी
5. सनाय
6. अमलताश
7. कपूर
8. तेजपत्र
9. जिन्को
10. मण्डूकपर्णी
11. बाबुई तुलसी
12. काली तुलसी
13. तुलसी
14. सर्पगन्धा
15. ऐरण्ड
16. स्टीविया
17. हरड
18. बहेडा
19. आमला
20. अश्वगंधा

VI अन्य गतिविधियॉ

वर्ष 2008–09 की वनस्पति वन परियोजना की प्रगति सूचना

1. परिसर के बाहर कार्यक्रम
   1. चम्बा (माणी संग्रह) तथा कुल्लू कोठी के तीन विभिन्न स्थानों पर तीन प्रशिक्षण केम्प का आयोजन किया गया ।

2. वन विभाग के कर्मचारियों को वनस्पति वन परियोजना के स्थानों पर तकनीकी सहायता दी गई । इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों में म्ग`पजम खेती बाडी करने के तरीके तथा नर्सरी को खेतों में लगाने के तरीके भी बताये गये ।

Micropropagation Lab.

1. बडी मशीनों तथा अन्य यन्त्रों को प्रयोगशाला में लगाने का कार्य पूरा किया
2. प्रयोगशाला का तापमान नियन्त्रित करने के लिये जहां आवश्यकता थी ।पत बवदकपजपवदपदह`लेजमउ लगाया गया
3. प्रयोगशाला के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये, रसायनों, शीशे के सामान तथा बवदेनउंइसम सामान की सूची बनाई ।
4. फर्नीचर खरीदा गया तथा उसको प्रयोगशाला में लगाया गया ।
5. Hardening Chamber स्थापित करने के लिए प्रकिया शुरू की ।
6. प्रयोगशाला में रोजाना कार्यक्रम जैसे कि Trial testing of equipment किये गये ।

आयुर्वैदिक अनुसंधान जोगिन्दरनगर,अन्य सरकारी विभागों तथा विश्वविधालयों / संस्थाओं से मिलकर औषधीय पौधों की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है :

अन्य विभागों तथा संस्थाओं के साथ कार्यक्रम

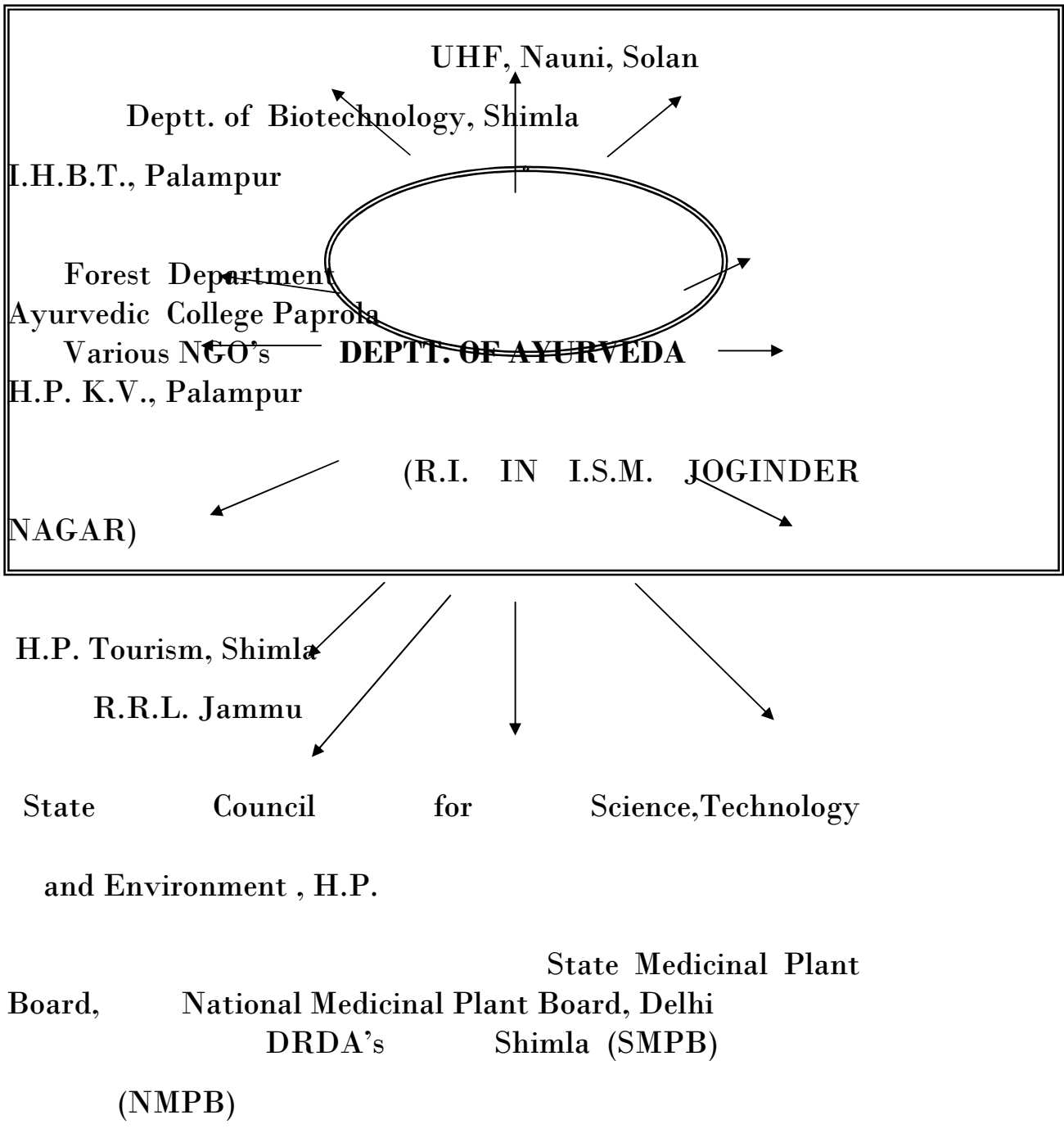

1. वन विभाग के साथ गतिविधियॉः– यह विभाग औषधीय पौधों की खेतीबाडी सम्बन्धित जानकारी जैसे कि पौध तैयार करना, प्द `पजम – म्ग`पजम खेती बाडी वन विभाग को प्रदान कर रहा है ।
2. वानिकी तथा कृषि विभाग हि0 प्र0 के साथ गतिविधियॉः– यह संस्थान तकनीकी जानकारी उक्त विभाग को प्रदान कर रहा है ।
3. प्रदेश क्ण्त्ण्क्ण। के साथ कार्यक्रमः– यह विभाग प्रदेश के विभिन्न क्ण्त्ण्क्ण। के साथ उनके प्रतिभागियों को औषधीय पौधों की खेतीबाडी तथा पहचान सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है ।

4. प्रदेश तथा राष्ट्रीय मैडीसीनल प्लांट बोर्डः– आयुर्वैदिक अनुसंधान संस्थान जोगिन्दरनगर, प्रदेश तथा राष्ट्रीय मैडीसीनल बोर्ड के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है । प्प्द्धण STATE & NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD :

The Research Institute in ISM, Joginder nagar is actively involved in providing the technical guidance for the implementation of programs and policies of State Medicinal Plant Board, Deptt. of Ayurveda in H.P. under the National Medicinal Plant Board on various aspects of medicinal plants of state.

Detail of undergoing projects at R.I. in ISM, Joginder nagar :

Presently, the following projects are being carried out / implemented /monitored through this Institute on various aspects of medicinal plants sanctioned by different funding agencies:-

Sr. NO.	Title of Project	***Year***	***Sanctioning Authority***	***Time Period***	***Sanctioned Amount***
1.	Establishment of Vanaspati Van	1999-2004	Ministry of Health & FW,	5 yrs	5.16 crores

	project (at Kullu, Chamba & Jogindernagar) in joint collaboration with Forest deptt., HP	extended upto 31-03- 2009	(RCH), G.O.I		
2.	**Infrastructure development** for determination and standardization of drying and storage techniques of raw herbal material in H.P. *for Herbal Garden Neri, H/pur*	2002-05 extended upto 2007	Ministry of Health & FW, NMPB, G.O.I	3 yrs	18.00 lacs
3.	The Production of Nucleus / Basic Planting Material for Medicinal Plants under **Horticulture Technology Mission - Mini** Mission–I	2004-07	Horticulture Technology Mission -MM-I, Deptt. of Horticulture, H.P.	3 yrs	11.01 lacs
4.	Propagation of **QPM** & Seed Production *for Herbal Garden Dhumreda, Rohru (Shimla)*	2004-07	Ministry of Health & FW, NMPB, G.O.I	3 yrs	15.00 lacs
5.	Propagation of **QPM** of high valued medicinal plants for promoting **contract farming** in H.P. *for Herbal*	2004-07	-- do --	3 yrs	15.00 lacs

	Garden Dhumreda, Rohru (Shimla)				
6.	Production and utilization of herbs in collaboration with herbal gardens & pharmacies of the AYUSH Deptt. of H.P. ***(For 4 Herbal Gardens)***	2007-10	-- do --	3 yrs	24.00 lacs
7.	Establishment of Progeny Herbal Garden	2007-08	Deptt. of Hort. H.P.	1 year	03.00 lacs
8.	Promotional activities of medicinal plants at Herbal Garden Jungle-Jhalera Distt. Bilaspur	2007-10	Ministry of Health & FW, NMPB, G.O.I	3 yrs	15.00 lacs

Farmers Training camps organized under state budget/centrally sponsored project for the year 2008 -09 under RI ISM and in out provided to the farmers during camps.

S.No	Particulars	No. of participants	In put provided luch,pen & slip paid
1	One day farmers camp on 3-5-08 at H.G.Neri Distt. Hamirpur under Pr. No.GO/HP-40/2002	65 Nos	Do
2	One day farmers camp	63 Nos	Do

	on 12-6-08 at Vill. Janglik Chirgaon(Rohru)under Pr. No. GO/HP-3/2005		
3	One day farmers camp on 15-10-08 at H.G. Dhumreda Shimla under Pr. No.GO?HP-3/2005	69 Nos	Do
4	Two days camp on 11-6-08 at H.G. institute Jogindernagar sponsored by Nalagarh Forest Division	25 Nos	No input provided by the institute
5.	Three days camp 7-8-9-01-2008 at H.G. Jodindernagar sponsored by B.D.O Ghumarwin Bilaspur	25 Nos	Do

Note

1 Establishment of Vanaspati Van project (at Kullu,Chamba & Jogindernagar) in joint collaboration with Forest deptt. HP- The Project has been Terminated by Govt. of India.

2 Infrastructure development for determination and standardization of drying storage techniques of raw herbal material in H.P. for Herbal Garden Neri H/Pur-**The Project has been completed and the Utilisation Ceretificate is being sent.**

3 The Production of Nucleus/Basic Planting Material for Medicinal Plants under **Horticulture Technology Mission-Mini Mission- The Project has been successfully completed.**

4 Propagation of **QPM** & Seed Production for Herbal Garden Dhumreda,Rohru (Shimla) and Propagation of **QPM** of high valued medicinal plants for promoting **contract. farming** in H.P. for Herbal Garden Dhumreda Rohru (Shimla **Only one instalment was received and now the project has been terminated by the NMPB.**

5 Promotional activities of medicinal plants at Herbal Garden Jungle- Jhalera Distt. Bilaspur- **The work of this Project has been handed over the DAO Bilaspur.**

VII. Right to Information and obligations of Public authorities.

Information regarding implementation of Right to Information Act in the Department.

As per the instructions issued from time to time by the Govt. the Right to Information Act is being implemented in letter & spirit. Department has also made available the information on the web site to the general public. During the quarter ending on 31st March, 2009 the department has received 33 applications under Right to information Act and reply of the same have also been sent to the applicants. Two applications for inspection received by the department and request acceded and inspection & desired document allowed. Besides this, 04 appeals also received by the department. In this regard desired information on 03 has been given and matter is under process for one. For the implementation of RTI Act Training/ awareness camps for the PIOs have also been conducted at Directorate and notifications/ circulars received from the Govt. for the implementation of RTI Act have also been sent to the sub offices for necessary compliance.

Summary

A. Applications received under RTI during the financial year 2008-09	Application accepted	Rejected	Information furnished	Pending.
97	97	Nil.	97	Nil.
B. Appeals received during above period.	Appeals accepted	Rejected Nil	--	--
4	4		04	Nil
C. Complaints/ appeals made to the SIC	Disposal by SIC	xx	Action SIC advised to endorse copy of transfer of application simultaneously to the applicant.	Nil
1 complaint	1			

The names, designation and other particulars of the public information officers.

At Government level

S. No.	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail Address	Jurisdiction/Units under his control for which he will rendering information to application
1.	Principal Secretary Ayurveda Appellate Authority	#201 Armsdale Building ,H.P. Secretariat, Shimla-2	0177-2620560	--	Administrative Department at Secretariat Level
2.	Deputy Secretay Ayurveda Public Information Officer	#207 Armsdale Building ,H.P. Secretariat,	0177-2828498	--	-do-
3.	Section Officer, Ayurveda Asstt. Public Information Officer	#527 Armsdale Building ,H.P. Secretariat,	0177-2880504	--	-do-

The names / designation of PIO/ APIO and Appellate Authority

Directorate Level

DEPARTMENT/PUBLIC AUTHORITY: -Director, Indian System of Medicine & Homeopathy, H.P. Shimla-9.

Directorate level

S.No.	Name of Officer	Designated as	Tel. No.	Jurisdiction
1.	**Director**	**Appellate Authority**	**0177-2623066 Extension--42**	**At Directorate level ISM&H**
2.	**Assistant Director**	**P.I.O.**	**0177-2623066 Extension--24**	**At Directorate level ISM&H**
3.	**Supdt. Estt.-I**	**A.P.I.O.**	**0177-2623066 Extension--39**	**At Directorate level ISM&H**

Field Level

DEPARTMENT / PUBLIC AUTHORITY: - Director, Indian System of Medicine & Homeopathy, H.P. Shimla-9.

S. No.	Name of P.I.O.	Address	Tel. No.	Jurisdiction for which he will be rendering information to the applicants
1.	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Bilaspur**		**Distt. Bilaspur**
2.	**District Ayurvedic**	**O/o DAO-Chamba**	**222669**	**Distt. Chamba**

	officer			
3	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Hamirpur**	**222539**	**Distt. Hamirpur**
4.	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Kangra at Dharamshala**	**223202**	**Distt. Kangra**
5.	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Kinnaur at Recong-Peo**	**222209**	**Distt. Kinnaur**
6.	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Kullu**	**222637**	**Distt. Kullu**
7	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-L&S at Keylong**	**222271**	**Distt. L&S**
8	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Mandi**	**223362**	**Distt. Mandi**
9	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Shimla**	**2658628**	**Distt. Shimla**
10	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Sirmaur**	**222567**	**Distt. Sirmaur**
11	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Solan**	**223538**	**Distt. Solan**
12	**District Ayurvedic officer**	**O/o DAO-Una**	**226011**	**Distt. Una**
13	**Principal**	**R.G.G.PG. Ayurvedic College Paprola..**	**242064**	**For College**
14	**Medical Superintendent**	**Regional Ayurvedic Hospital**	**2621753**	**For RAH Shimla**

		Shimla-2		
15	**Medical Superintendent**	**Regional Ayurvedic Hospital Paprola**	**242941**	**For RAH Paprola.**
16	**Manager**	**Govt. Ay. Pharmacy Joginder Nagar**	**222048**	**For Pharmacy Jogindernagar**
17.	**Manager**	**Govt. Ayurvedic Pharmacy Majra**	**255122**	**For pharmacy Majra.**
	Project Officer	**Govt. Research institute in ISM Joginder Nagar**	**222970**	**For Research Centre**
19.	**Incharge(Drug Analyst)**	**Govt .Drug testing Laboratory**	**222092**	**For DTL Jogindernagar**
20.	**Registrar, Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine,(H.P.)**	**Directorate of Ayurveda & H.P.Shimla-9**	**01772623066 Ext. 40**	**Whole State**
21.	**Registrar, Council of Homoeopathic System of Medicines(H.P.)**	**Regional Ayurvedic Hospital,Shimla-2**	**0177-2621753**	**Whole State**

उत्तरदायी प्रशासन –जन शिकायत एवं समस्याओं को प्रभावशाली निवारण एवं रोकथाम हेतू शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 2007-08

क्रम संख्या	पद	कार्यालय दूरभाष	मोवाईल न0

1	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी विलासपुर	01978.—222486	9418059202
2	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,धुमारवी	.—	98173—.39553
3	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,चम्बा	01899—222669	94181.—86727
4	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,टुण्डी	—	94184.—72690
5	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,तुन्नूहटी	—	98162—76948
6	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, भरमौर	—	94184—73323
7	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, पांगी	—	94182—67772
8	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, भंजराडू	—	94182—30320
9	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हमीरपुर	01972—222539	94184—21248
10	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी.मैहरे	—	94182.—14545
11	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी. घर्मशाला	01892—223202	94182—45962
12	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बैजनाथ	—	94182—19656
13	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी ,बालकरुपी	—	94184—73517
14	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा कांगडा	—	94183—47448
15	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नुरपुर	—	94184—67168
16	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पालमपुर	—	94184—25513
17	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी देहरा	—	94183—05108
18	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी राजा का तालाव	—	98160—8414
19	जिला आयुर्वेदिक	01786—22209	94185—46685

	अधिकारी,किन्नौर स्थित रिकांगपिओ		
20	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,निगुलसरी	—	—
21	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी कुल्लू	01902—222637	98174—20535
22	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,आनी	—	94181—36791
23	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,बन्जार	—	94180—26581
24	जिला आयूर्वेदिक अधिकारी,केंलाग	01900—222271	98161—05711
25	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,स्पिति		94183—66360
26	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी मण्डी	01902—223362	94181—93549
27	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,जोगिन्द्रनगर	—	94184—03331
28	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,चैलचोक	—	94180—57149
29	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,सुन्दरनगर	—	98170—08110
30	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,सरकाघाट	—	94182—01154
31	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,ममेल (करसोग)	—	94180—93937
32	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,शिमला	0177—2658628	94180—33666
33	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी,सन्धु	—	98161—47180
34	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, रामपुर	—	94180—67657
35	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, नेरवा	—	94184—79657
36	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, रोहडू	—	98161—73724
37.	कार्यकारी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,सोंलन	01792—223538	93185—00410
45	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कडाधाट	.—	93185—00410
38.	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक	—	94184—90348

	चिकित्सा अधिकारी जलाना		
39	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नालागढ	–	94184–53474
40	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी,नाहन	01702–222567	94180–25776
41	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी.सुरजपुर	–	94184–78806
42	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी.राजगठ	–	94180–32264
43	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी.उना	01975–226011	94184–87805
44	उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी.अम्ब स्थित भन्जाल	–	94180–47604

Budgetary Provision.

1. Five Year Plan = Rs. 27374 Lacs
2. Annual Plan 2008-09 = Rs. 1564.18 Lacs